

नमाज़ की संक्षिप्त विधि

संलग्नः

वृजू की संक्षिप्त विधि

एवं

संक्षिप्त वुजू भंजक

लेखनः

पो. अहमद बिन मोहम्माद अलख़लील

क़सीम विश्वविद्यालय

पुस्तक का विवरण

पुस्तक : नमाज़ की संक्षिप्त विधि

लेखन : पो० अहमद बिन मोहम्माद अलख़लील

अनुवाद : फैजुर रहमान हिफजुर रहमान तैमी

प्रथम संस्करण: 2021.1442

पृष्ठ संख्या : 65

ईमेल : binhifzurrahman@gmail.com

प्राक्कथन

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد:

मेरी पुस्तक(नमाज की संक्षिप्त विधि)का यह नया संस्करण है,इसके प्राक्कथन के रूप में मैंने दो अध्यायों का वृद्धि किया है(नमाज की संक्षिप्त विधि)एवं (संक्षिप्त वुजू भंजक)।ताकि नमाज से संबंधित महत्वपूर्ण मामले एक ही पुस्तक में जामा हो जाएं।
मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि एस पुस्तक को उपयोगी बनाए,इसे अपने कृपा एवं आशीर्वाद से लोकप्रियता प्रदान करे।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

लेखन:

पो० अहमद बिन मोहम्माद अलख़लील

15 / 3 / 1441 हिजरी

प्राककथन

वजू का संक्षिप्त विधि एवं संक्षेप वुजू भंजक

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اما بعد:

मैंने(नमाज़ की विधि)पर आधारित एक पुस्तक का लोकार्पण किया था,जिसको पढ़ने के पश्चात कुछ विद्वान मित्रों ने मुझे प्रामर्श दिया कि इस पस्तक के प्राककथन में संक्षेप में(वजू की विधि)एवं (वजू तोड़ने वाली चीज़ीं)(वजू भंजक)भी शामिल कर दिये जाएं।

मुझे यह प्रस्ताव उचित लगा,क्योंकि वजू एवं नवाकिजे वजू(वजू भाजक चीज़े)ऐसे उत्तम अध्याय हैं जिन को नमाज़ की विधि से पूर्व प्रस्तुत करना अति उचित है।

मैंने(वजू की विधि एवं वजू भंजक)से संबंधित महान विद्वानों के मतभेद,उनके तर्क एवं श्रेष्ठतर कथन के साथ विस्तृत चर्चा तीन पुस्तकों में की है:

प्रथमःशरहो ज़ादिल मुस्तफीद

द्वितीयःशरहा बोलूग़ल मोराम

तृतीयःअलतवाजीह अलमुक़ने शरहो अलरोज़ अलमोरब्बा

निम्न के पृष्ठों में इन अध्यायों का ही सारांस प्रस्तुत किया गया है।

इस निष्कर्ष में निम्न विषयों का उल्लेख किया गया है:

1.(वजू की विधि एवं वजू भंजक चीज़ों)से संबंधित केवल श्रेष्ठ कथन का उल्लेख किया गया है।

2.यह कथन श्रृंखलाबद्ध संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं जिनको सहजतापूर्वक समझा जा सकता है।इनशाअल्लाह।

अल्लाह सर्वाधिक शक्तिमान से प्रार्थना है कि इसे स्वीकृति प्रदान करे एवं अपनी प्रसन्नता के लिए शुद्ध करले ।

(नमाज की संक्षिप्त विधि)

- विद्वानों की इस बात पर सहमति है कि हर मुसलमान के लिए वजू करने की विधि का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है ।
- (वजू)इस्लाम में एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है ।
- शरीअते इस्लामिया में(वजू)का अनेक महत्व बता गया है,नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की हडीसों में इसका सर्वश्रेष्ठ महत्व यह आया है कि वह पापों की छतिपूर्ति है:

उराहरण स्वरुप हज़रत अबू होरैरा रजीअल्लाहु अंहु से वार्णित यह हडीस देखें कि: रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:"क्या में तुम्हें ऐसी चीज़ से अवगत न करूं,जिस के माध्यम से अल्लाह तआला पापों को मिटा देता है और पदवी को उच्च करदेता है?"सहाबा ने कहा:ए अल्लाह के रसूल!क्यों नहीं?आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:"न चाहते हुए भी अच्छे ढंग से वजू करना,एक नमाज के पश्चात दूसरी नमाज का प्रतिक्षा करना,यही रेबात(शैतान के विद्व युद्ध का शिवर)है"।इसे मुस्लिम ने वर्णित किया है(251/)

- जब मुसलमान वजू करना चाहे तो अल्लाह से सहायता मांगे और निम्न चेतावनियों के आलोक में वजू करें:

1.वजू की नीयत करें,क्योंकि नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की हडीस है:"कार्यों का आधार नीयतों पर है और हर व्यक्ति को उसकी नीयत ही के अनुसार परिणाम मिलेगा"।

2.फिर अपनी दोनों हथेलियों को तीन बार धोए,यह एक मुस्तहब(अच्छा)अमल है ।

3.उसके पश्चात मुंह में पानी डाल कर कुल्ली करे और नाक में पानी डाल कर नाक साफ करें,एक बार ऐसा करना वाजिब(अनिवार्य)है और तीन बार ऐसा करना मुस्तहब(अच्छा)है । पानी

4.सुन्नत यह है कि मुंह और नाक में एक ही चुल्लू से डाले ।

5.चारों इमामों की इस बात पे सहमती है कि दाएं हाथ से मुंह और नाक में पानी डालना एवं बाएं हाथ से नाक साफ करना मुस्तहब है ।

6.उसके पश्चात अपना मुंह धोए,एक बार ऐसा करना वाजिब(अनिवार्य)है और तीन बार मुस्तहब है,अल्लाह का कथन है:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)

अर्थातःमोमिनो!जब तुम नमाज़ पढ़ने का सोचो तो मुंह धो लिया करो ।

7.लंबाई में मुंह का वह अंग जिस का धोना वाजिब(अनिवार्य)है,वह यह है:माथे का उपरी भाग जहां से समान रूप से बाल निकलता है,से ले कर दाढ़ी और ठोड़ी के नीचे तक।मुंह का यह परिसीमन इस्लामी विद्वानों के निकट सर्वसम्मत है ।

8.चौराई में मुंह का वह भाग जिसे धोना वाजिब(अनिवार्य)है,वह यह है:एक कान से दूसरे कान तक,पूर्णरूपेन चारों इमामों के निकट यह परिसीमन भी सर्वसम्मत है ।

9.यद्यपी चेहरा पर थोड़ा बाल हो जिससे त्वचा दिख रहा हो तो त्वचा एवं केस दोनों को धोना वाजिब (अनिवार्य) है,क्योंकि (बाल के नीचे से)त्वचा दिख रहा होता है इस लिए इसे और इसके साथ बाल को भी धोना वाजिब है,इस लिए कि यह फर्ज के स्थान पे है,यह भी चारों इमामों के निकट सर्वसम्मत है ।

10.यदि चेहर के पे घना बाल हा तो केवल बाल को धोना वाजिब(अनिवार्य)है,वह भी उसका वह भाग जो चेहरे के सीमा में आता हो,अतःदाढ़ी का जो भाग चेहरे के सीमा से बाहर लटक रहा हो,उसे धोना वाजिब नहीं ।

11.उसके पश्चात दोनों हाथों को कोहनियों तक धोए,जैसा कि अल्लाह तआला का कथन है:

(وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)

अर्थातःएवं कोहनियों तक हाथ धो लिया करो ।

एक बार ऐसा करना वाजिब(अनिवार्य)है,जबकि तीन बार मुस्तहब है ।

12.फिर अपने पूरे सर का कानों सहित पानी से मसह करे,(पोछे)एक बार ऐसा करना वाजिब(अनिवार्य)है,जैसा कि अल्लाह का कथन है: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ)

अर्थातःऔर सर का मसह कर लिया करो ।

(मसह के)अनिवार्य भाग को सीमा में ले कर जिस प्रकार भी मसह करे काफी होगा,(मसह का)अनिवार्य भाग यह है:(ललाट के ऊपरी भाग)केस रेखा(जहां से सामान्यतःबाल निकलता है,से ले कर सर के पिछले भाग.मगज.तक) ।

13.समान विद्धानों के निकट सर और कानों का दोबारा मसह करना मुस्तहब नहीं है ।

14.मसह का मसनून विधि यह है कि अपने दानों हाथों को ललाट से सर के पिछले भाग(मस्तिष्क)तक फेरे,फिर वहां से दोनों हाथ को लोटाते हुए उस स्थान पर लाए जहां से आरंभ किया था ।

जैसा कि अब्दुल्लाह बिन जैद की हडीस है कि रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने :"मसह सर के अगले भाग से आरंभ किया और उसके पिछले भाग तक ले गए,फिर जहां से आरंभ किया था वहां तक हाथों को लाए" ।

15.फिर अपने दोनों हाथों की तर्जनी से कान के आंतरिक भाग और अंगूठों से कान के बाहरी भाग का मसह करे ।

16.उसके पश्चात दोनों पैर को टखनों तक धोए,अर्थातःदोनों पैर पिंडली के अंतिम भाग में उभरी हुई दोनों हड्डियों सहित(पैर को धोए),जैसा कि अल्लाह ने फरमाया:

(وَأْرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)

अर्थातःऔर टखनों तक पैर(धो लिया करो) ।

एक बार ऐसा करना वाजिब और तीन बार मुस्तहब है ।

(वजू के)अनिवार्य भाग को संपूर्ण रूप से धोने का अति ध्यान रखें,क्योंकि आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की हडीस है:"सूखा एड़ियों के लिए आग की यातना

है"। इस हडीस को बोखारी व मुस्लिम ने अब्दुल्लाह बिन उमर रजीअल्लाहु अंहुमा से वर्णित किया है।

एवं उमर रजीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि:(एक व्यक्ति ने वजू किया तो अपने पैर पर एक नाखुन के बराबर स्थान छोड़ दी,तो नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम न उसको देख लिया और फरमाया:"वापस जाओ और अपना वजू पूर्ण रूप से अच्छे प्रकार से पूरा करो",वह वापस गया,वजू किया,फिर नमाज़ पढ़ी)।इसे मुस्लिम ने वर्णित किया है।

17.(कम)वजू के फराएज़(अनिवार्यों) में से है,इस प्रकार कि वजू के अंगों को उसी कम से धोए जा कम वजू की आयत में आई है,(विकार विधि में)किसी अंग को दूसरे अंग से पहले न धोए,उदाहरण स्वरूप पैर को हाथ से पहले न धोए।

18.(मवालात)भी वजू के फराएज़(अनिवार्यों)में से है,मवालात का मतलब यह है कि:किसी भाग को धोने में उतनी देर न कर दे कि उससे पहले वाला अंग सूख जाए,उदाहरण स्वरूप हाथों को धोने में हाथों को धोने में एतनी देर न करे कि चेहरा सूख जाए।

19.वजू समाप्त करने के पश्चात यह दुआ पढ़े:

(أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)

जैसा कि उमर बिन ख़त्ताब रजीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:"तुम में से जो व्यक्ति भी वजू करे और अपने वजू को पूरा करे(अथवा खूब अच्छे से वजू करे)फिर यह कहे:

(أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)

अर्थातःमैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं,और मोहम्मद उसके बांदे एवं संदेशवाहक हैं,तो उसके लिए स्वर्ग के आठों द्वार खाल दिए जात हैं,जिससे चाहे वह प्रवेश करे"।

एक अन्य रिवायत(वर्णन)है कि रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:उसके पश्चात उपरोक्त वर्णन के शब्द हैं,किंतु उन्होंने(इस प्रकार) कहा: "जिसने वजू

किया और कहा:

(أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)

अर्थातःमैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं, वह अकेला है, उसका कोई साझा नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सलल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दास एवं संदेशवाहक हैं" इसे मुस्लिम ने वर्णित किया है।

क्यामत के दिन मोहम्मद की उम्मत की पहचान वजू के चिंह होंगे, जैसा कि अबू होरैरा रजीअल्लाहु अंहु से वर्णित हडीस में आया है, अतः नईम अलमोजम्मर से वर्णित है, वह कहते हैं: मैं (एक बार) अबू होरैरा रजीअल्लाहु अंहु के संग मस्जिद की छत पर चढ़ा। तो आपने वजू किया और कहा कि मैं ने रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे: मेरी उम्मत के लोग वजू के चिंहों के कारण क्यामत के दिन सफेद ललाट एवं सपेद हाथ पांव वालों के रूप में बोलाए जाएंगे। तो तुम में से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है तो वह बढ़ाले (अर्थात वजू अच्छे से करे)। मुत्तफक अलै

हज़रत होज़ैफा रजीअल्लाहु अंहु से वर्णित है, उन्होंने कहा: रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "निसंदेह मेरा हौज़ (कुंड) ईला से अदन तक की दूरी से अधिक विस्तृत है, उस हस्ती की शपथ जिसके हाथ में मेरा प्राण है! मैं उससे इसी प्रकार (अन्य) लोगों को हटाऊंगा, जिस प्रकार व्यक्ति अजनबी ढूंटों को अपने हौज़ (कुंड) से हटाते हैं"। सहाबा ने पूछा: ए अल्लाह के रसूल! क्या आप हमें पहचान लेंगे? आप सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "हाँ! तुम मेरे पास चमकते ललाट एवं दमकते हुए सपेद पाँव के साथ आओगे, यह चिंह तुम्हारे अतिरिक्त किसी और में नहीं होगा"।

अबू होरैरा रजीअल्लाहु अंहु के वर्णन में है: आपने फरमाया: "हाँ, तुम्हारा एक चिंह होगा जो किसी अन्य उम्मत का नहीं होगा, तुम वजू के कारण चमकते हुए चेहरे और हाथ पाँव के साथ मेरे पास आओगे"। इसे मुस्लिम ने वर्णित किया है।

(संक्षिप्त नवाकिजे वजू) (वजू को खत्म करने वाली चीजों का संक्षिप्त विवरण)

नवाकिजे वजू (वुजू भंजक) चार हैं:

1.पैशब एवं मल के मार्ग से निकलने वाली चीज,चाहे कम हो अथवा अधिक,जैसे पैशब एवं मल ।

इसका प्रमाण अल्लाह का यह कथन है: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ)

अर्थातःअथवा तुम में से कोई अपनी जरूरत को पूरी कर के आया हो ।

- रही बात उस चीज की जो इन दो मार्गों के बजाए शरीर के अन्य भागों से निकलती है,जैसे:वमन अथवा रक्त,जैसे नक्सीर आदि,तो उससे वजू भंग नहीं होता,किंतु उसके कारण वजू करना मुस्तहब है ।

2.बेहोशी अथवा नींद के कारण बुद्धि का खत्म होजाना ।

नींद(की जिस मात्रा)से वजू समाप्त हो जाता है,उसका नियम यह है कि:नींद ऐतनी गहरी हो कि सोने वाले का चेतना जाता रहे ।

नींद के कारण वजू भंग हो जाता है,इस का प्रमाण सफवान बिन अःसाल रजीअल्लाहु अहु की यह हृदीस है,वह कहते हैं:"जब हम यात्री होते तो रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आदेश देते कि हम अपने मोजे तीन दिन एवं तीन रात तक,मूत्र,मल अथवा नींद के कारण न उतारें,मगर जब जनाबत(अपवित्रता)प्राप्त होजाए" इसे नेसाई और तिरमिज़ी ने वर्णित किया है और इसकी सनद(वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला) सही है ।

3.पुरूष एवं महिला का अपने गुप्त अंगों को हाथ लगाना,इसका प्रमाण अःम्र बिन शोऐब अपने बाप वह अपने दादा को सनद से वर्णित नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हृदीस है,आपने फरमाया :(जो पुरूष अपने लिंग को हाथ लगाए,उसे चाहिए कि वजू करे,और जो महिला अपने गुप्त अंग को हाथ लगाए,उसे चाहिए कि वजू करे) इसे अहमद ने वर्णित किया है और अल्बानी ने सही कहा है ।

- किंतु यदि पुरूष महिला को हाथ लगाए तो उससे वजू नहीं टूटता,किंतु यदि वासना के साथ महिला को हाथ लगाया हो तो सतर्कता के रूप में वजू करले,यह अच्छा है ।

4.सूंट का मांस और उसक अन्य भागों को खाना,जैसे गुदा,हृदय,तिल्ली,आंत और चबी आदि ।

- किंतु चूंट के मांस का मांससार वजू तोड़ने वाला नहीं है, किंतु यदि उसके साथ मांस का टुकड़ा भी खाले, चाहे छोटा सा टुकड़ा ही क्यों न हो।
- इसी प्रकार चूंट का दूध पीने से भी वजू नहीं टूटता।

चूंट के मांस से वजू टूट जाता है, इसका प्रमाण जाबिर बिन समोरा रजीअल्लाहु अंहु की यह हडीस है कि:(एक व्यक्ति ने रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा: क्या में बकरी के मांस से वजू करूँ? आपने फरमाया: चाहो तो वजू करलो आर चाहो तो न करो। उसने कहा: चूंट के मांस से वजू करूँ? आपने फरमाया: हाँ, चूंट के मांस से वजू करो)। इसे मुस्लिम ने वर्णित किया है, इस विषय की स्पष्टीकरण में अन्य हडीसें भी आई हैं।

इमाम अहमद फरमाते हैं:(इस संबंध में दो हडीसें आई हैं: एक बरा रजीअल्लाहु अंहु की हडीस और दूसरी जाबिर बिन समोरा रजीअल्लाहु अंहु की हडीस)।

(प्राक्कथन नमाज़ की संक्षिप्त विधि)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وصحبه أجمعين.

أما بعد:

मने(नमाज़ की विधि)पर आधारित एक पुस्तक का लेख किया था जिसमें फकीहो(धार्मिक विधिवेत्ताओं)के कथनों,उनके प्रमाणों एवं उन प्रमाणों का शैक्षिक विशलेषण प्रस्तुत किया था,तथा प्रत्येक मसले(मामले)के अंत में अपने इजतेहाद(तर्क)के आलोक में सर्वोत्तम पाठों से निकटतम कथन का भी उल्लेख किया था।

उसके पश्चात महान विद्वानों के एक समूह ने मुझे यह परामर्श दिया कि इस पुस्तक से नमाज़ की विधि का सारांश निकालूं,वह इस प्रकार से कि सहज विधि में निरंतरता के साथ नमाज़ की विधि बयान कर दिया जाए,आदरणीय फकीहों(धार्मिक विधिवेत्ताओं)के कथन का उल्लेख न किए जाएं,बल्कि हडीसों के आलोक में केवल सर्वोत्तम कथन पर विश्वास किया जाए,मने सोचा कि यह परामर्श उचित एवं उपयोगो होगा,ईनशाअल्लह,इसी आधार पर मैंने यह सारांश लिखा है और इसे ऐसे शैली में ढालने का पूरा प्रयास किया कि जिसको समझना सरल हो।

अल्लाह तआला से आशा है कि इस पुस्तक को लाभदायक बनाएगा और इसे स्वीकृति प्रदान करेगा,निसंदेह वह अत्यंत दाता एवं महान दानशील है।

लेखन:

अहमद बिन अलखलीل

23 / सफर / 1440 हिजरी

नमाज़ की विधि को जानने का महत्व

अबू होरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु ने बयान किया है कि "एक व्यक्ति मस्जिद में प्रवेश किया, रसूल सलल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के किनारे बैठे हुए थे। उसने नमाज़ पढ़ी और फिर उपस्थित हो कर नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: वअ़लैकोमुस्सलाम। वापस जा और पुनः नमाज़ पढ़, क्योंकि तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी। वह वापस गए और नमाज़ पढ़ी। फिर (नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम) के पास आए और सलाम किया। आपने फरमाया: वअ़लैकोमुस्सलाम। वापस जाओ फिर नमाज़ पढ़ो। क्योंकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। वह सज्जन दूसरी बार, अथवा उसके पश्चात, कहा: ए अल्लाह के सदेशवाहक! मुझे नमाज़ पढ़ना सिखा दीजिए। नबी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि: जब नमाज़ के लिए खड़े हुआ करो तो सर्वप्रथम पूर्णरूपेन वजू कर लिया करा, फिर किब्ला (काबा) की ओर मुंह करके तकबीर (तकबीरे तहरीमा) कहो, उसके पश्चात कुरान मजीद में से जो तुम्हारे लिए सरल हो वह पढ़ो, फिर उकू करो और जब उकू की अवस्था में बराबर हो जाओ तो सर उठाओ। जब सीधे खड़े हो जाओ तो फिर सजदा में जाओ, जब सजदह पूर्णरूपेन कर लो तो सर उठाओ और अच्छे प्रकार से बैठ जाओ। यही कार्य अपनी हर रक़अत में करो"।¹

नमाज़ की तैयारी

वजूः

जब मुसलमान नमाज का इरादा करे तो यदि वह तहारत (वजू) से न हो तो अनिवार्य रूप से वजू करे। क्योंकि अल्लाह तआला का कथन है:

¹ इसे बोखारी (6251) और मुस्लिम (397) ने वर्णित किया है।

(يَا أَئِيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرْأَقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامْسَتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَلِتُسْتَمِّنَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

अर्थातः ए ईमान वालो! जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुँह को और अपने हाथों को कुहनियों समेत धोलो। अपने सरों का मसह करो और अपने पांव को टखनों समेत धोलो, और यदि तुम जनाबत(अपवित्र)की स्थिती में हो तो स्नान करलो, हाँ यदि तुम रोगी हो अथवा यात्रा में हो अथवा तुम मे से कोई शौचालय से लौट कर आया हो, अथवा तुम स्त्रीयों से मिले हो (संभोग किये हो) और तुम्हें पानी न मिले तो तुम पवित्र मिटटी से तयम्मुम कर लो, उसे अपने चेहरों पर और हाथों पर मल लो। अल्लाह तआला तुम पर किसी प्रकार की कठिनाई डालना नहीं चाहता बल्कि वह तुम्हें पवित्र करना चाहता है और भरपूर नेमतों से माला माल करना चाहता है, ताकि तुम शुक बजालाओ।

मस्लके अरबा(चारों पंथों)की इस बात पर सहमती है कि हर नमाज के लिए नया वजू करना मुस्तहब है।

(शुरू से वजू) करने का मतलब यह है कि वह वजू से हो, और वजू तोड़े बिना ही फिर से वजू करे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलौहि वसल्लम से प्रमाणित है कि आप प्रत्येक नमाज के समय वजू किया करते थे। इसे बोखारी ने वर्णित किया है²

इस संबंध में फोकहा(धार्मिक विधिवेत्ताओं)के तीन कथन हैं कि वजू के नवीकरण के मुस्तहब होने की क्या शर्त है, उनमें सर्वोत्तम कथन यह है: वजू का नवीकरण उस व्यक्ति के लिए मुस्तहब है जो प्रथम वजू से कोई नमाज पढ़ चुका हो।

नमाज के लिए जाना:

- यदि फर्ज नमाज पढ़ना चाहे तो शांति व प्रतिष्ठा के साथ मस्जिद की ओर निकले।

² इसे बोखारी(214)ने वर्णित किया है।

- फिर तहियतुल मस्जिद(दो रकअत)पढ़े,जैसा कि अबू क़तादा अंसारी से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:"जब तुम में से कोई मस्जिद में आए तो जब तक दो रकअत(तहियतुल मस्जिद)न पढ़ले न बैठे" |मुत्तफक अलै ।³
- फिर बैठ कर नमाज का प्रतीक्षा करे,जिक व अज़कार अथवा कुरान का सस्वर पाठ में व्यस्त रहे,जब तक कि वह प्रतीक्षा में रहेगा उस समय तक उसे नमाज का पुण्य मिलता रहेगा,जैसा कि अबू होरैरा रजीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरयामा:"देवदूत तुम में से उस नमाजी के लिए उस समय तक प्रार्थना करते रहते हैं जब तक(नमाज पढ़ने के पश्चात)वह अपने मोसल्ले पर वजू की अवस्था में बैठा रहे कि: ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهِ﴾
- «اللهُمَّ ارْحَمْ كि हे अल्लाह!उसको क्षमा प्रदान कर।हे अल्लाह!उस पर कृपा कर।तुम में से वह व्यक्ति जो केवल नमाज के कारण उका हुआ है।घर जाने से नमाज के अतिरिक्त कोई और काम उसको न रोके हुआ है,तो उसका(यह सारा समय)नमाज में माना जाएगा" |इसे बोखारी ने रिवायत किया है।⁴
- फिर जब मोअज्ज़िन इकामत कहे और इमाम मस्जिद में नज़र नहीं आरहे हों अर्थातःमस्जिद में उपस्थित न हों तो ऐसे अवस्था में नमाजी उस समय तक खड़ा न हो जब तक कि इमाम को न देख ले।
- किंतु यदि इमाम उपस्थित हों और माअज्ज़िन के लिए इकामत भी कहदे,तो ऐसी स्थिति में नमाजी के लिए शरअन(धार्मिक रूप से)कोई सीमा नहीं है कि वह किस समय नमाज के लिए खड़ा हो,बल्कि यह नमाजी पर निर्भर है,यदि वह निर्बल हो तो उसके लिए यह मशरू(वैध)है कि जलदी खड़ा हो जाए ताकि तकबीरे तहरीमा छूट न सके,और यदि बलवान एवं शक्तिशाली हो तो देर से खड़े होने में भी कोई दिक्कत नहीं,क्योंकि वह खड़ा होकर तकबीरे तहरीमा पा सकता है।

³ इसे बोखारी(163)और मुस्लिम(714)ने रिवायत किया है।

⁴ इसे बोखारी(695)ने वर्णित किया है।

- सफें(पंक्तियाँ)सीधी और सही कराना अनिवार्य है, सफों सही होना यह है कि पंक्ति(शुरू से अंत तक)एक जैसी बिल्कुल सीधी एवं संयम हो और लोग एक दूसरे से मिल कर इस प्रकार खड़े हों कि पंक्ति के मध्य में कोई रिक्त स्थान बचा न रहे।

नमाज़ की नीयतः

फर्ज़ नमाज़ के सही होने के लिए यह शर्त है कि नमाज़ी फर्ज़ नमाज़ की नीयत करे, यह नीयत प्रत्येक नमाज़ी के अंदर स्वभाविक रूप में पाई जाती है। क्योंकि वह जब नमाज़ के लिए घर से निकलता है तो फर्ज़ नमाज़ पढ़ने की नोयत से निकलता है।

इन्हे कोदामा कहते हैं:"मेरे ज्ञान के अनुसार उम्मत में इस विषय में कोई मतभेद नहीं पाया जाता कि नमाज़ के लिए नीयत अनिवार्य है, और यह कि नमाज उसके बिना पूरा होती ही नहीं" |⁵

नमाज़ में प्रवेश करना

तकबीरे तहरीमा

- तकबीरे तहरीमा नमाज़ का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, यह तकबीर न तो स्वयं(भूल) से निरस्त हो सकता है, न अज्ञानता के आधार पर और न जान बूझ कर, क्योंकि अल्लाह तआला का कथन है:

(وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ)

अर्थातः अपने रब ही की प्रशंसा करो।

तथा नबी سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (الْمُسِيءُ صَلَاتُهُ) उस सहाबी से कहा जिन्हांने नमाज़ में गलती की थी कि:"जब तुम नमाज़ के लिए खड़े हो तो (सर्वप्रथम) तकबीर कहो"।

- (بِرَبِّكَ) के द्वारा ही नमाज़ आयोजित होती है, उसके अतिरिक्त कोई और अपयाप्त माना जाएगा।

⁵ देखें: इन्हे कोदामा की अलमोग़नी: (132 / 2)

- (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ)का अर्थ हैःअल्लाह प्रत्येक वस्तु से विशाल एवं महान है,वह इस से भी महान है कि प्रशंसा,बड़ाई एवं सम्मान व प्रतिष्ठा के बिना उसका जिक किया जाए ।
- फर्ज नमाज में तकबीर उसी समय कही जाएगी जब नमाज के लिए सीधा खड़ा होया जाए ।
- जो व्यक्ति तकबीरे तहरीमा कहना चाहे उसके लिए मसनून विधि यह है कि अपने दानों हाथों को उठा कर तकबीर कहे,तकबीरे तहरीमा के लिए हाथों को उठाना सुन्नत से प्रमाणित है,इस पर फोकहा(धार्मिक विद्वानों)की सहमती है ।
- मसनून विधि यह है कि तकबीर के साथ ही दोनों हाथ उठाए जाएं,अर्थात् एक ही समय में(एक ही साथ)दोनों हाथ उठाए आर तकबीर कहे,न उससे पहले और न उसके बाद ।
- तकबीरे तहरीमा के लिए हाथ उठाते समय उंगलियों को आपस में मिला कर सीधी रखे,क्योंकि इससे खोशू खोजू(विनम्रता व दीनता)प्रकट होता है,उन्हें फैला कर अथवा मोड़ कर रखने के अनुपात ।
- नमाजी को यह अधिकार है कि जब तकबीर के लिए अपने हाथ उठाए तो कभी कंधा तक उठाए और कभी कानों तक,अतःकानों के अनुपात कंधे तक ज्यादा उठाया करे ।
- महिला भी पुरूष के जैसे नमाज में हाथ उठाए,कुछ विद्वानों का मानना है कि महिला पुरूष के जैसा नहीं,बल्कि उससे कम हाथ उठाए ।
- इमाम के लिए उंचे स्वर तकबीर कहना अनिवार्य है,क्योंकि उंचे स्वर से तकबीर कहे बिना अन्य नमाजियों तक आवाज पहुंचाए बिना मसनून विधि में इमाम का अनुगमन नहीं किया जा सकता है ।

क्याम एवं सस्वर पाठ

क्यामः

- फर्ज नमाज में क्याम एक स्तंभ है,जिसके बिना नमाज सही नहीं होती,इस पर नस(मूलपाठ)सर्वसम्मति दोनों प्रमाणित हैं।
- जहां तक नफिल नमाज की बात है तो नमाजी क्याम की शक्ति रखते हुए भी बैठ कर नफिल पढ़ सकता है,चाहे वह ऐसे इमाम के पीछे क्यों न हो जो खड़े हो कर इमामत कर रहे हों,उदाहरण स्वरूप तरावीह की नमाज।
- हाँ यदि नमाजी फर्ज नमाज में खड़े होने की शक्ति न रखता हो तो यह स्तंभ इस अयोग्यता के कारण निरस्त हो जाता है,क्योंकि अल्लाह तआला का कथन है:

(فَأَتَئُّلُوا اللَّهَ مَا مَا اسْتَطَعْتُمْ)

अर्थात्:यथा संभव अल्लाह से डरते रहो ।

तथा नबी सल्लल्लाहु अलौहि वसल्लम की भी हडीस है:"जब मैं तुम्हें किसी बात का आदेश दूँ तो तुम अपनी शक्ति के अनुसार उसका अनुपालन करो" |⁶

- इस विषय में विशेष मूलपाठ भी आया है,वह है नबी सल्लल्लाहु अलौहि वसल्लम की हडीसः:"खड़े हो कर नमाज पढ़ा करो |यदि उसकी भी शक्ति न हो तो बैठ कर और यदि उसकी भी शक्ति न हा तो पहलु के बल लेट कर पढ़लो" |⁷
- असमर्थता का नियम यह है कि:खड़े हो कर नमाज पढ़ने से नमाजी का खुशू खुजू(विनम्रता व दीनता)न बन पाए,अर्थात् रोग अथवा उस जैसी अन्य मजबूरी के कारण युक्त खोशू खोजू के साथ वह नमाज पढ़ने में समर्थ न हो,तो ऐसी स्थिति में उसके लिए बैठ कर नमाज पढ़ना मान्य है।

⁶ इसे बोखारी(7288)और मुस्लिम(1337)ने अबू होरैरा रजीअल्लाहु अंहु से वर्णन किया है।

⁷ इस हडीस का संदर्भ ऊपर आचुका है।

- जिसके अंदर खड़े हो कर नमाज़ पढ़ने की शक्ति हो,उसके लिए यह शर्त है कि फर्ज़ नमाज़ों के मध्य किसी सहारे के साथ क़्याम करे,अतःजो व्यक्ति बिना किसी असमर्थता के लाठी अथवा दीवार पर टेक लगा कर इस प्रकार खड़ा हो कि दीवार अथवा लाठी का सहारा हट जाने से वह गिर जाए तो उसकी नमाज़ा सही नहीं होगी ।

क़्�ाम के समय हाथ रखने का स्थान:

न्माज़ी के लिए यह सुन्नत है कि क़्याम के समय अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखे,यदि उसने अपने हाथों को गिरा कर रखा है तो यह सुन्नत के विरुद्ध होगा,क्योंकि सहल बिन सअ़द अस्सादी से वर्णित है कि:(लोगों को आदेश दिया जाता था कि नमाज़ में दायां हाथ बाएं कलाई पर रखें) ¹⁸

- इसी प्रकार वाएल बिन ह़जर को रिवायत में भी आया है कि:(रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ में अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ पर रखते) ¹⁹
- ह़दीस इस बात पर साक्ष्य है कि नमाज़ी अपने दाएं हाथ से बाएं कलाई को पकड़े,यदि कभी कभार दाएं हाथ(की उंगलियों)को बाएं हाथ पर फैला कर रखे तो भी कोई बात नहीं ।
- नमाज़ी को यह अधिकार है कि.नाभि के ऊपर अथवा उससे नीचे.जहां चाहे अपने हाथ रखे,क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको सीमित करने में कोई ह़दीस सिद्ध नहीं है,इसो लिए इन अलमुनज़िर फरमाते हैं:(इस विषय में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ह़दीस प्रमाणित नहीं है,इस लिए नमाज़ी को दोनों.नाभि के ऊपर एवं उसके नीचे.में अधिकार प्राप्त है) |तथा इमाम तिरमिज़ी अपनी पुस्तक(जामे)में फरमाते हैं:(कुछ विद्वानों का मानना है कि हाथ नाभि के ऊपर रखे जाएं,जब कि कुछ विद्वानों का मानना है कि:नाभि के नीचे रखे जाएं,विद्वानों एवं विशेषज्ञों के अनुसार दोनों परकार से रखना उचित है) ।
- मेरे ख्याल से हाथ को सीने के नीचे,सीना और पैट के बीच भाग में रखना खुशू खुजू(विनम्रता व दीनता)से अधिक निटक है ।

¹⁸ इसे बोखारी(740)ने वर्णित किया है ।

¹⁹ इसे मुस्लिम(401)ने वर्णित किया है ।

- अतःसीना पर हाथ बांधने को इमाम अहमद ने पसंद नहीं किया है, और इस लिए भी कि इससे अनुचित औपचारिकता का प्रदर्शन होता है।

नमाज में नज़र रखने का स्थान:

- नमाज में क्याम के सयम नमाज़ी को अपनी नज़र सजदे के स्थान पर रखनी चाहिए, यदि उसने सजदे के स्थान से नज़र उठाई तो सुन्नत का उल्लंघन किया और आकाश की ओर नज़र उठाया तो हराम(अवैध)कार्य को किया।
- जहां तक दो सजदों के बीच और तशह्वुद के अंदर की बात है तो:

..कुछ फकीहों(धार्मिक विद्वानों)की राय है कि नमाज़ी पूरी नमाज में सजदे के स्थान पर ही नज़र रखे।

..जबकि कुछ फकीहों की राय है कि तशह्वुद के बीच अपनी नज़र उंगली पर रखे।

दुआए इसतिफताह(प्रारंभिक प्रार्थना) :

- फिर नमाज़ी को चाहिए कि दुआए इसतिफताह(प्रारंभिक प्रार्थना)पढ़े, जो कि मुस्तहब एवं मसनून है।
- हदीस में विभिन्न प्रकार की दुआए इसतिफताह आई हुई हैं और सब मान्य हैं, सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि नमाज़ी हर बार अलग अलग दुआ पढ़े, अतः अधिकतर वह दुआ पढ़ा करे जो उमर रजीअल्लाहु अंहु से वर्णित है। उसका उल्लेख आगे आने वाला है। यह इमाम अहमद एवं अन्य इमामों का पंथ है, इन्हे तैमिया फरमाते हैं: (अधिकांश असलाफ)धार्मिक पूर्वज(दुआए इसतिफताह में इसी पर अमल करते थे)।¹⁰

निम्न में दुआए इसतिफताह के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किए जा रहे हैं:

1. सही मुस्लिम में आया है कि: "हज़रत उमर बिन खत्ताब रजीअल्लाहु अंहु यह कलमे चूंचे स्वर में पढ़ते थे: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ"

¹⁰ ماجموعہ لفظتاتاوا: (494 / 22)

अर्थातः हे अल्लाह! तू अपनी प्रशंसा के साथ पवित्र है। तेरा नाम बड़ा भाग्यवान है और तेरी महत्ता एवं महानता अति उच्च है और तेरे अतिरिक्त कोई सत्य परमेश्वर हीं है।

यह हड्डीस यद्यपि उमर रजीअल्लाहु अंहु पर मौकूफ है, किंतु वह मरफू के श्रेणी में है।

2. सही है न(बोखारी एवं मुस्लिम) में हज़रत अबू होरेरा रज़ूअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीरे तहरीमा (प्रारंभिक तकबीर) एवं केरात(कुरान का स्वर पाठ) के मध्य कुछ सुकूत(विराम) फरमाते थे। में ने कहा: अल्लाह के रसूल! मेरे माता पिता आप पर समर्पित हों! आप तकबीर एवं केरात के बीच सुकूत(मोन) में किया पढ़ते हैं? आपने फरमाया: मैं कहता हूँ:

"اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايِ، كَمَا بَاعِدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَفِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَفَّنُ"

"الثُّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايِ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ"

अर्थातः हे अल्लाह! मुझ से मेरे पाप एतने दूर करदे जितना तू ने पूर्व एवं पश्चिम के बीच दूरी रखी है। हे अल्लाह! मुझे पापों से इस प्रकार पवित्र करदे जैसे सपेद वस्त्र मैल और गंदे से पवित्र किया जा सकता है। हे अल्लाह! मेरे पाप जल, बर्फ और आलों से धो दे।

3. सही मुस्लिम में अली बिन अबि तालिब रजीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि: जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते थे तो फरमाते:

(وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنِّي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَعْفُرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبِيَكَ وَسَعْدَيَكَ وَالْحَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدِيَكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارِكَتْ وَتَعَالَيْتْ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ)

अर्थातः "मैं ने अपना चेहरा उस हस्ती की ओर कर दिया है जिसने आकाशों एवं पृथ्वी की रचना की, हर ओर से एकाग्रता हो कर, और मैं उसके साथ साझी बनाने वालों में

से नहीं,मेरी नमाज़ और मेरा प्रत्येक(शारीरिक व वित्तीय)प्रार्थना एवं मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो संसार का रब है,उसका कोई साझी नहीं और उसी का मुझे आदेश मिला है और मैं आज्ञाकारी करने वालों में से हूं।

हे अल्लाह! तू ही बादशाह है तेरे अतिरिक्त कोई पूजा के योग्य नहीं,तू मेरा रब है मैं तेरा दास हूं और मैं ने अपने ऊपर अत्याचार किया है और अपने पाप का स्वीकार किया है,इस लिए मेरे सारे पापों को क्षमा प्रदान कर क्योंकि तेरे अतिरिक्त पापों को क्षमा करने वाला कोई नहीं,और सर्वोत्तम शिष्टाचार की ओर मुझे निर्देश कर,तेरे अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ शिष्टाचार के मार्ग पर चलाने वाला कोई नहीं,और अशिष्टता को मुझ से दूर करदे,तेरे अतिरिक्त अशिष्टता को मुझसे दूर करने वाला कोई नहीं,मैं तेरे द्वार पे उपस्थित हूं और दोनों संसार की शुभकामनाएं तुझ से ही हैं हर प्रकार की अच्छाई तेरे हाथ में है और बुराई का तुझ से कोई संबंध नहीं है मैं तेरे ही सहारे हूं,और तेरे ही ओर मेरा मुंह है,तू भाग्यवान एवं उच्चतर है मैं तुझ से क्षमा मांगता हूं और तेरे समक्ष तौबा करता हूं"।

➤ दुआए इसतिफताह (प्रारंभिक प्रार्थना) को धिमे स्वर में पढ़ने की मशरूईयत(वैधता)पर सर्वसम्मति है,उमर बिन खल्लाब रजीअल्लाहु अंहु ने उच्च स्वर में इसी लिए पढ़ी ताकि लोगों को इसकी शिक्षा दे सकें,इन्हे कोदामा रहिमहुल्लाहु फरमाते हैं:(अहमद का कथन है:इमाम उच्च स्वर में दुआए इसतिफताह न पढ़े,यही कथन समान विद्वानों का भी है,क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उच्च स्वर में यह दुआ नहीं पढ़ी,बल्कि उमर ने उच्च स्वर में पढ़ी,वह भी शिक्षा देने के उद्देश से)।¹¹

सस्वर पाठ से पूर्व इस्तेआज़ा(शैतान से अल्लाह का शरण मांगना):

- तआला ने फरमाया: (فِإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ)
- अर्थातःकुरान पढ़ने के समय अल्लाह का शरण मांगो।
- नमाजी के लिए हर रकअत में इस्तेआज़ा मशरू(इसलामी कार्य)है,न कि केवल प्रथम रकअत में।

¹¹ देखें:इन्हे कोदामा की अलमुगंनी:(145 / 2)

► इस्तेआज़ा के अनेक सेगे(अनुभाग)हैं:

(أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ).1

(أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ).2

(أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزَةٍ، وَنَفْخَةٍ، وَنَفْثَةٍ).3

► सर्वोत्तम कथन—इशाअल्लाह—यह है कि: मनुष्य जिस अनुभाग के माध्यम भी शैतान से अल्लाह का शरण मांगने वह प्रयाप्त होगा।?

किंतु मुस्तहब(बेहतर)यह है कि अधिकांश इस सेगे(अनुभाग)का पालन करें, क्योंकि यह कुरानी आयत के अनुरूप है: (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)

► नमाज़ी के लिए धिमे स्वर में इस्तेआज़ा पढ़ना मशरू है, चाहे जहरी(उच्च सस्वर पाठ वाली नमाज़)हो अथवा सिर्फी(जिस में सस्वर पाठ मन ही मन में किया जाए)।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना:

इस्तेआज़ा(शैतान से अल्लाह का शरण मांगना)के पश्चात एवं सूरह फातेहा से पूर्व "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" पढ़ना नमाज़ी के लिए मशरू है, इस का प्रमाण अबू होरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु की हडीस है: "आप रज़ीअल्लाहु अंहु ने नमाज़ पढ़ी, तो उंहोंने

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" कहा, फिर फरमाया: मैं तुम में नमाज़ के विषय में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे अधिक समरूप हूँ" |¹²

¹² इसे हडीस को नेसाई(905)ने वर्णित किया है और इसके शब्द इस प्रकार हैं: नईम अलमजहर कहते हैं कि मैं ने अबू होरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु के पीछे नमाज़ पढ़ी, तो उंहोंने «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

कहा, फिर सूरह फातिहा पढ़ी, और जब «غَيْرُ المَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ» पर पहुंचे तो आमीन कही, लोगों ने भी आमीन कही, और जब बवह सज्दा करते तो अल्लाहु अकबर कहते, और जब दूसरी

➤ उच्च स्वर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मशरू(इस्लामी कार्य)है,क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सिद्ध नहीं है कि आपने उच्च स्वर में बिस्मिल्लाह पढ़ते थे,किंतु यह कि उच्च स्वर में पढ़ने की कोई निती हो,जैसे लोगों को इस का शिक्षा देना और सुन्नत का प्रसार करना,अथवा उसके पीछे दिलजोई का उद्देश हो,तो इन उद्देश्यों के कारण उच्च स्वर में बिस्मिल्लाह पढ़ने में कोई बात नहीं है,इमाम अहमद बिन हँबल और अन्य इमामों ने इसको स्पष्ट किया है।

➤ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की सूरह अलनमल में एक आयत है,अल्लाह का

फरमान है: (إِنَّمَا مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

अर्थातःजो सोलैमान की ओर से है और जो क्षमा प्रदान करने वाले कृपालु अल्लाह के नाम से आरंभ है।

➤ सूरह अलअनफाल एवं सूरह अलतौबा के बीच बिस्मिल्लाह एक आयत के रूप में(अंकित)नहीं है,इन दो स्थानों के अतिरिक्त जहां भी बिस्मिल्लाह आया है वह अल्लाह की पुस्तक की आयत के रूप में है,किन्तु सूरतों की आयत के

रकअत में बैठने के बाद खड़े हुए तो अल्लाहु अकबर कहा,और जब सलाम फिरा तो कहा:उस हस्ती की शपथ जिसके हाथ में मेरा प्राण है,में तुम में नमाज़ के विषय में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे अधिक समरूप हूं।

रूप में नहीं, किंतु दो सूरतों को अलग करने एवं बरकत प्राप्त करने के रूप में आया है।

सूरह फातिहा का सस्वर पाठ

- हर रकअत में सूरह फातिहा(पढ़ना)इमाम और व्यक्ति(अकेला नमाज़ पढ़ने वाले)के लिए नमाज़ का एक स्तंभ है।
- समस्त सहाबा, ताबेईन एवं उनके पश्चात आने वाले पूर्वजों का यही पक्ष है कि सूरह फातिहा का सस्वर पाठ स्तंभ है, इसके बिना नमाज सही नहीं होती, अतः यदि कोई(नमाजी) जानबूझ कर अथवा भूलवश इसे छोड़ दे, तो नमाज निरस्त हो जाएगी, इसका प्रमाण हज़रत ओबादह रजीअल्लाहु अंहु की हडीस है: "उसकी नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी" ¹³

तथा हज़रत अबू होरेरा रजीअल्लाहु अंहु की हडीस भी इस का प्रमाण है: "जिस ने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज़ अधूरी है" ¹⁴

- यदि किसी मुसलमान को अच्छे से सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता हो तो विद्वानों की इस बात पत सहमति है कि यदि वह सूरह फातिहा सीखने पर समर्थ हो तो उसके लिए सूरह फातिहा सीखना अनिवार्य है। इस लिए कि अनिवार्य को पूरा करना जिस चीज पर निर्भर हो, वह भी अनिवार्य है।

यदि सूरह फातिहा सीखने पर समर्थ न हो, उदाहरण स्वरूप वह वृद्धावस्था में हो अथवा किसी और कारण से (सीखने से असमर्थ हो), तो सूरह फातिहा के जेतना कुरान की सात आयतों को पढ़ना उसके लिए अनिवार्य है, और यदि उस के लिए भी समर्थ न हो तो उसके लिए अनिवार्य है कि उन पांच जिक्रों के माध्यम से अल्लाह का जिक्र करें:

(سُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا أَكْبَرُ، وَلَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ)۔

¹³ इसे बोखारी(756) एवं मुस्लिम(394) ने वर्णित किया है।

¹⁴ इसे मस्लिम(395) ने वर्णित किया है।

यह समस्त आदेश इमाम एवं व्यक्ति के लिए हैं, जहां तक मोक्तदी की बात है तो उसके लिए जहरी(उच्च स्वर में स्स्वर पाठ वाली नमाज़) रकअतों में सूरह फातिहा पढ़ना अनिवार्य नहीं, बल्कि वह इमाम की किराअत को ध्यान पूर्वक सूनेगा।

सिर्फ एवं जहरी का मामला:

- इमाम के लिए यह मशरू है कि वह ईशा, मगरिब एवं फजर की नमाज़ों में जहरी(उच्च स्वर में पढ़ने वाली नमाज़) किराअत करे, अर्थात् मोक्तदी को किराअत सुनाए, उन नमाज़ों में जहरी किराअत अनिवार्य है, इस लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहरी नमाज़ों में जहरी किराअत ही हमेशा करते और सिर्फ(धीमी स्वर में पढ़ने वाली नमाज़) नमाज़ों में सिर्फ किराअत ही हमेशा करते, जो कि अनिवार्यता को दरशाता है और उसी पर उम्मत का अमल भी रहा है।
- किराअत अथवा अनिवार्य जिर्क करना उस समय सही नहीं हो सकती जब तक कि उसे नुत्क(शब्दों के उच्चारण) के साथ कहा जाए अर्थात् उसे जीभ हिला कर कहा जाए, मन में पढ़ना प्रयाप्त नहीं होगा।
- जहां तक सिर्फ एवं जहरी किराअत की बात है तो यह एक अन्य मामला है जिसका आदेश इमाम अथवा व्यक्ति अथवा मुक्तदी के अनुरूप बदलता रहता है।
- शैखुलइस्लाम इब्ने तमिया रहीमहुल्लाहु फरमाते हैं: "शक्ति व बल रहने पर नमाज़ में किराअत एवं अन्य अनिवार्य जिर्कों को जीभ को हरकत के साथ कहना अनिवार्य है" |¹⁵
- मूल रूपेन जोहर एवं असर में सिर्फ किराअत(धीमी स्वर में स्स्वर पाठ) मशरू है किंतु कभी कभी सिर्फ नमाज़ में भी जहरी(उच्च स्वर से) किराअत करना मुस्तहब(बेहतर) है, इस प्रकार से कि इमाम मोक्तदी को किसी आयत का टुकड़ा, अथवा एक आयत अथवा एक से अधिक आयतें उच्च स्वर से सुनाए। उसका उद्देश लापरवाह मोक्तदी को सचेत करना होता है, और कभी कभी इसकी अन्य निती भी हो सकती है।
- इसका प्रमाण हज़रत क़तादह रज़ीअल्लाहु अंहु की हडीस है, वह कहते हैं कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको नमाज़ पढ़ाते थे तो जोहर और

¹⁵ देखें: मोखतसर अलफतावा अलमिसरिया: 43।

असर की प्रथम दो रक़अतों में सूरह फातिहा और दो सूरतें पढ़ते थे औद कभी एक आध आयत हमको सुना देते थे और प्रथम रक़अत लंबी होती और अंतिम की दो रक़अतों में केवल सूरह फातिहा पढ़ते थे" |¹⁶

- जब मोक़तदी इमाम की किराअत सुन रहा हो तो जहरी(उच्च स्वर में पढ़ने वाली नमाज़)नमाज़ में उसके लिए न सूरह फातिहा और न हो कोई अन्य सूरह पढ़ना मशरू(इस्लाम में सिद्ध)है बल्कि वह इमाम की किराअत ध्यान पूर्वक सुनेगा,यह आदेश समस्त जहरी(उच्च स्वर में पढ़ने वाली नमाज़)नमाजों का है चाहे वह फर्ज़ नमाज़ें हों जैसे फजर,मग़रिब और ईशा अथवा नफली नमाज़ें हों जैसे तरावीह की नमाज़।जम्हूर(अधिकांश विद्वानों)का यही कथन है,इस लिए कि:"जेहरी नमाज़ का उद्देश यह है कि किराअत को ध्यान पूर्वक सुनें"।जैसा कि इब्ने तौमिया¹⁷रहीमहुल्लाहु का कथन है,यदि मोक़तदी पढ़ने लगे तो वह पढ़ने के कारण सुन्ने से अचेत हो जाएगा।

फातिहा पढ़ने के पश्चात आमीन कहना:

- माननीय विद्वान इस बात पर सर्वसहमत हैं कि व्यक्ति एवं मोक़तदी के लिए आमीन कहना सुन्नत है,अतःव्यक्ति अपनी फातिहा की किराअत के पश्चात आमीन कहेगा,और मोक़तदी इमाम की किराअत के पश्चात आमीन कहेगा।
- इसी प्रकार किराअत के पश्चात इमाम के लिए भी आमीन कहना मशरू है।
- इमाम एवं मोक़तदी उच्च स्वर में आमीन कहें।मशरू(इस्लाम में सिद्ध)यह है कि मोक़तदी इमाम के साथ एक साथ आमीन कहे,अतःजब इमाम"اللَّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَا تَعْلَمُ وَمَا لَمْ تَعْلَمُ"कहे तो इमाम मोक़तदी दोनों ही एक साथ आमीन कहें।
- इसका सबूत हज़रत अबू होरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु की उपरोक्त हडीस है,नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि:"जब इमाम"आमीन"कहे तो तुम

¹⁶ इस हडीस का संदर्भ गुज़र चुका है।

¹⁷ देखें:मज़मूउल फतावा:287 / 23

भी "आमीन" कहो | क्योंकि जिसकी "आमीन" देवदूतों के आमीन के साथ होगी उसके पूर्व क समस्त पाप क्षमा कर दिए जाएंगे" |¹⁸

- इमाम बोखारी ने यह अध्याय रचा है: "بَابِ جَهْرِ الْمُأْمُونِ بِالْتَّائِمِينِ" (अध्यायःमोक़्तदी का उच्च स्वर से आमीन कहना) इसके अंतर्गत इमाम बोखारी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस विवरण का उल्लेख किया है कि: "जब इमामः" "كَفَىٰ تُوْ تُومُ آئِنْ" "غير المضوب عليهم ولا الضالين" "كَفَىٰ تُوْ تُومُ آئِنْ" |
- शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं: "यह समस्त साक्ष्य इस बात के लिए स्पष्ट मूलपाठ स्थान रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उच्च स्वर से आमीन कहते थे, और आपने मोक़्तदी गणों को इमाम के साथ आमीन कहने का आदेश दिया है, इस आदेश का बाहरी आशय यही है कि मोक़्तदी गण इमाम के जैसा आमीन कहें, इस लिए कि मोक़्तदी के हित में आमीन कहने की अधिक जोर आया है, क्योंकि उन्हें आमीन कहने का आदेश दिया गया है, अतः जब इमाम उच्च स्वर में आमीन कहेगा तो मोक़्तदी स्वतः ही

ही आमीन कहेगा, इसका स्पष्टिकरण गुजर चुका है, उच्च स्वर में आमीन कहने के आदेश को सहाबा ने भी यही समझा और वे इस विषय में सर्वसहमत भी रहे हैं। अतः इस्हाक़ बिन राहवैह ने अ़ता से वर्णन किया है वह कहते हैं: मैंने अल्लाह के रसूल के दो सो ऐसे सहवियों को देखा कि जब इमाम "لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ" "कहता तो में उनके आमीन कहने की गोंज सुनता।

अकरमा से वर्णित है वह कहते हैं कि: मैंने उस मस्जिद में कुछ ऐसे लागों को पाया जिनके आमीन में गोंज होती थी, इस्हाक़ बिन राहवैह यह कहते हैं कि सहबा एतने उँचे स्वर में आमीन कहते थे कि मस्जिद गोंज जाती थी" |¹⁹

सूरह फातिहा के पश्चात (अन्य सूरह) पढ़ना:

¹⁸ इसे बोखारी (780) एवं मुस्लिम (410) ने वर्णित किया है।

¹⁹ इब्ने तैमिया की शरहुलउमदा: (757 / 1)

- फातिहा की किराअत के पश्चात केवल प्रथम दो रकअतों में अन्य सूरह पढ़ना मसनून (सुन्नत से सिद्ध) है।
- अन्य सूरह पढ़ने का प्रमाण रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रसिद्ध सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे, अर्थात् केवल प्रथम एवं द्वितीय रकअत में फातिहा के पश्चात अन्य सूरह भी पढ़ते थे, जैसा कि अबू कतादा रजीअल्लहु अंहु की हडीस है: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम को नमाज पढ़ाते थे तो जोहर एवं असर की प्रथम दो रकअतों में सूरह फातिहा एवं दो सूरह पढ़ते थे और कभी एक आध आयत हमको सुना देते थे और प्रथम रकअत लंबी होती। और अंत की दो रकअतों में केवल सूरह फातिहा पढ़ते थे" |²⁰
- इब्ने कोदामा फरमाते हैं कि: "मैं नहीं जानता कि माननीय विद्वानों का इस विषय में कोई मदभेद है कि प्रत्येक नमाज की प्रथम दो रकअतों में फातिहा के साथ कोई अन्य सूरह पढ़ना मसनून है। जहरी(उच्च स्वर में पढ़ी जाने वाली) नमाज में सूरह भी उच्च स्वर में पढ़ते और सिर्री(बिना सस्वर पाठ वाली) नमाज में सूरह भी धिमे स्वर में पढ़ते थे" |²¹
- चार रकअतों वाली नमाज की तृतीय, चौथी एवं मगरिब की तृतीय रकअत के पश्चात अन्य सूरह पढ़ना मूल रूप से मशरू नहीं है, किंतु यदि कभी कभार पढ़ले तो कोई बात नहीं। अतः अधिकतर न पढ़ने का ही प्रबंध करे।
- इमाम के लिए जुमा की फजर में सूरह सजदा एवं सूरह इंसान नियमित रूप से पढ़ना मुस्तहब है।

इसका प्रमाण हज़रत अबू होरैरा रजीअल्लाहु अंहु की यह हडीस है, वह कहते हैं कि: "रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में सूरह سजदा" مل آتی علی انسان "और" مل تزيل "पढ़ा करते थे" (बोखारी मुस्लिम)। इमाम तबरानी ने इब्ने मससूद रजीअल्लाहु अंहु से वर्णन किया है कि: "आप नियमित रूप से ऐसा करते थे"।

- इन दो सूरतों को वढ़ने की निती यह है कि: इन दो सूरतों में आदम(मनु) अलैहिस्सलाम की रचना एवं क्यामत के घटनाओं का उल्लेख आया

²⁰ इस हडीस का संदर्भ गुजर चुका है।

²¹ इब्ने कोदामा की अलमोग़नी: (142 / 2)

है,आदम(मनु)अलैहिस्सलाम की रचना शुकवार के दिन हुई और क्यामत भी शुकवार के दि नहीं घटित होगी,आप इस सूरह को सजदाए तिलावत के कारण नहीं पढ़ते थे बल्कि सजदा अकस्मात आया है।

- इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं:फजर की नमाज में इस सूरह और इसके अतिरिक्त अन्य सूरह की केवल सजदा वाली आयत संकल्पपूर्वक पढ़ना मुस्तहब नहीं है,बल्कि उद्देश इन दोनों सूरतें(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)और(أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفَّارِ)पढ़ना है,इस लिए कि उन सूरतों में मनुष्य की प्रारंभिक रचना एवं क्यामत का उल्लेख है जो कि शुकवार के दिन घटेगो,क्योंकि आदम(मनु)अलैहिस्सलाम का जन्म शुकवार के दिन हुआ और क्यामत भी शुकवार के दिन ही घटेगी,इसी लिए इस दिन इन दानों सूरतों की किराअत मुस्तहब है ताकि उम्मत को शुकवार के दिन जो हआ और जो होने वाला है,उसका स्मरण कराया जाए,और सजदाए तिलावत अकस्मात आया है,संकल्पपूर्वक नहीं,इसी लिए जो व्यक्ति सूरह(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)न पढ़ सके उसके लिए यह मुस्तहब नहीं कि किसी अन्य सूरह की सजदा वाली आयत अभिप्रायपूर्वक पढ़े" |²²

लंबी किराअत करना:

- सुन्नत यह है कि नमाजी पूरी सूरह पढ़े,नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सिद्ध है।
- अथवा किसी सूरह की कुछ आयतें उसके आरंभ से पढ़े,इसके बिना मकरूह(इस्लामी दृष्टिकोण से अनुचित)होने में कोई मतभेद नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मोमेनीन के आरंभ से मूसा व हारून अलैहिमस्सलाम के उल्लेख वाली आयत तक पढ़ा।फिर आप को खांसी होने लगी तो आप ने रुकू कर लिया।

मगरिब की नमाज में आप ने सूरह आराफ पढ़,यह ज्ञात हुआ कि आपने सूरह आराफ की कुछ आयतें प्रथम रकअत में एवं शेष आयतें द्वितीय रकअत में पढ़ी,इसी प्रकार आपने एक रकअत में एक सूरह की कुछ आयतें किराअत की।

²² बदाएँउल फवाएँदः(63 / 4द्व)

जोबैर बिन(पुत्र)मुत्तइम रजीअल्लहु अंहु की हडीस में है:(मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मग़रिब में सूरह तूर पढ़ते हुए सुना) |²³

- इसी प्रकार किसी भी सूरह के अंत से कुछ आयतों को पढ़ना भी मान्य है,किंतु नियमित रूप से ऐसा करना मकरूह(इस्लामी दृष्टिकोण से अनुचित)है,क्योंकि इस को नियमित रूप से करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का उल्लंघन होता है,इन्हे कोदामा फरमाते हैं:"नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूर्ण सूरह अथवा सूरह के शुरू स कुछ आयतों को पढ़ना सिद्ध है"।
- मग़रिब में किसारे मोफस्सल(छोटी छोटी सूरतें),फजर में तेवाले मोफस्सल(लंबी लंबी सूरतें)एवं शेष नमाज(जोहर,असर एवं मग़रिब)में औसाते मोफस्सल(मध्यम सूरतें)पढ़ना सुन्नत है।

इसका प्रमाण हज़रत अबू होरैरा रजीअल्लाहु अंहु की हडीस है,वह कहते हैं:"मैंने किसी के पीछे ऐसी नमाज नहीं पढ़ी जो अमुक की नमाज से बढ़ कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के जैसा हो,वह कहते हैं:आप फजर में तेवाले मोफस्सल(लंबी लंबी सूरतें) मग़रिब में किसारे मोफस्सल(छोटी छोटी सूरतें)और इशा में औसाते मोफस्सल(मध्यम सूरतें)पढ़ा करते थे" |²⁴

इसका एक सबूत यह भी है कि:अमीरल मोमेनीन(विश्वासियों के सरदार)हज़रत उमर बिन खत्ताब रजीअल्लाहु अंहु ने हज़रत अबू मूसा अशअरी को एक पत्र लिखा।उस पत्र में आपने यह भी लिखा कि:"जोहर की नमाज में औसाते मोफस्सल(मध्यम सूरतें)पढ़ा करो" |²⁵

- यदि इमाम लंबी सूरह पढ़ना चाहे तो हम समझते हैं कि नमाज में प्रवेश होन से पूर्व मोक़तदी को इस विषय में बताना मशरू नहीं है,जैसा कि आज कुछ लोग करते हैं,क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इसकी सूचना नहीं देते थे,वे समस्त हडीसें जिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किराअत का उल्लेख आया है,उनमें कहीं यह इस

²³इसे बोखारी(765)और मुस्लिम(463)ने वर्णन किया है।

²⁴इसे निसाइ(982),इन्हे माजा(827),अहमद(7992)ने वर्णन किया है और हाफिज़ इन्हे हजर फरमाते हैं कि:उसकी सनद सही है।

²⁵इसे तिरमिज़ी(307)ने वर्णन किया है।

का उल्लेख नहीं है कि आप लोगों को इस विषय में बताते थे, जबकि कुछ लोग ऐसे होते थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ में साथ होते और उन्हें यह आवश्यकता होती थी जैसा कि अन्य हडीसों में इसका उल्लेख आया है, इसके बावजूद आप उन्हें इस विषय में नहीं बताते थे।

- किंतु इसके विपरीत यह जरूरी है कि हम लोगों को अहकाम एवं सुन्नत की शिक्षा दें, और सुन्नत यह है कि यदि नमाज़ में मनुष्य को कोई आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लिए यह मान्य है कि वह इमाम से अलग हो कर अपनी नमाज़ पूरी करले, यदि उसके पास कोई निर्बलता हो तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसा कि मोअज़ बिन जबल रजीअल्लाहु अंहु के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले मोक़तदी ने किया, जब उन्हें यह लगा कि मोअज़ सूरह बक़रा की किराअत करने वाले हैं तो वह नमाज़ से निकल गए, इस लिए इस सुन्नत का प्रचार करना हमारे लिए जरूरी है।
- मेरे लिए जो बात स्पष्ट हुई वह यह कि विशेष रूप से सूरह तूर एवं आराफ की किराअत का इरादा करना, और यह आस्था रखना कि इन सूरतों की किराअत अल्लाह की निकटता का माध्यम है, यह मशरू नहीं है। क्योंकि स्पष्ट यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़रिब में विशेष रूप से सूरह आराफ की किराअत संकल्पपूर्वक नहीं करते थे, बल्कि आप लंबी सूरह पढ़ना चाहते थे, मतलब यह है कि हडीसों से यह स्पष्ट नहीं होता कि विशेष रूप से इन दो सूरों(तूर एवं आराफ) की किराअत ही का उद्देश है, जैसा कि जुमा को फजर की नमाज़, जुमा की नमाज़ एवं ईदैन की नमाज़ में विशेष रूप से कुछ सूरों की किराअत मशरू है।
- नमाज़ में प्रवेश होने वाले के लिए प्रतीक्षा के उद्देश से इमाम के लिए प्रथम रकअत में लंबी सूरह पढ़ना मशरू है, ताकि वह व्यक्ति रकअत पाले, इस लिए कि अबू क़तादा रजीअल्लाहु अंहु की हडीस में है: "आप प्रथम रकअत लंबी किया करते थे"। निम्नलिखित बातों से इस अर्थ को बल मिलता है:
- . एक यह कि: नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते तो नमाज़ छोटी करदेते थे।²⁶

²⁶ इसे बोखारी(709) एवं मुस्लिम(470) ने हज़रत अनस रजीअल्लाहु अंहु से वर्णन किया है।

.दूसरी यह कि:"आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहर अपराह्न मं(सूर्य ढलते हो)पढ़ते थे,और अस़र उस समय पढ़ते थे जब सूर्य सपेद एवं साफ हाता,और मगरिब उस समय पढ़ते जब सूर्य अस्त हो जाता,और इशा जब आप देखते कि लोग इकट्ठा हो गए हैं तो जलदी पढ़ लेते,और जब देखते कि लोग देर कर रहे हैं तो विलंम करते" ।²⁷

अतःव्यापक रूप से ये हडीसें इस बात पर साक्ष्य हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोक्तदी की स्थिति का ख्याल करते थे ।

➤ किराअत और रुकू के बीच थोड़ी देर खामोश रहना नमाज़ी के लिए मसनून है,इस लिए कि हडीस में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से पहले कुछ देर खामोश रहा करते थे ।²⁸ किंतु हडीस में सक्ता(विराम)की मात्रा का परिसीमन नहीं आया है,इब्नुल क़स्तिम²⁹ का पक्ष यह है कि इसकी मात्रा यह है कि कारी(सस्वर पाठी)की सांस जेतने समय में लौट जाए ।

इससे हमें यह ज्ञात हुआ कि कुछ इमाम किराअत समाप्त करते ही(बिना किसी वक्फे(विराम)के फौरन रुकू के लिए तकबीर कहते हैं,उनका यह अमल सुन्नत के विरुद्ध है,इसी लिए इमाम अहमद बिन हँबल³⁰रहिमहुल्लाहु इस अमल(कार्य)को मकरूह(इस्लामी दृष्टिकोण से अअुचित)मानते थे कि नमाज़ी किराअत समाप्त करते ही(बिना किसी विराम के)रुकू के लिए तकबीर कहे ।

²⁷ इसे बोखारी(560)ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजीअल्लाहु अंहु से वर्णन किया है ।

²⁸ इसे अहमद(11/5),अबूदाऊद(780)तिरमिज़ी(251),और इब्ने माजा(844)ने वर्णन किया है ।

²⁹ देखें:इब्नुल क़स्तिम की जादुल मज़ा(:201/1)

³⁰ देखें:अलमुबदे फी शरहिल मुक़ने:(390/1),इब्ने मुफलेह फरमाते हैं:"इमाम अहमद के कथन का बाह्य अर्थ यह है कि जब किराअत से समाप्त करले तो थोड़े समय के लिए खामोश रहे,ताकि किराअत और तकबीर और रुकू मिल न जाएं,सोकूत(विराम)इस लिए मसनून है कि मोक्तदी को किराअत का अव्सर मिले" ।

तकबीरे इंतेकाल

- तकबीराते इंतेकाल(हस्तांतरण)अनिवार्य है,क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही,उसका आदेश दिया और एकसमानता ऐसा करते,आपने फरमाया:"जिस प्रकार तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते देखा है उसी प्रकार नमाज़ पढ़ा करो" |³¹जिन हडीसों में आपने इस का आदेश दिया है,उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह हडीस भी है:"जब वह(इमाम)तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो" |³²
- तकबीरे इंतेकाल(हस्तांतरण)यद्यपि अनिवार्य हैं,किंतु स्हव(भूल)के आधार पर यह अनिवार्यता निरस्त हो जाता और सजदा स्हव(नमाज़ में किसी प्रकार का भूल होने पर किया जाने वाला सजदा)से उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है।

सर्वश्रेष्ठ यह है कि जब(एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर)स्थानांतरण होना प्रारंभ करे तो तकबीर भी आरंभ करे,और जब हस्तांतरण का कार्य समाप्त हो तो तकबीर भी समाप्त करे,यह भी मान्य है कि(रुकू एवं सजदा के लिए)झुकने से पूर्व तकबीर प्रारंभ करे,तथा यह भी वैध है कि रुकू में जाने के पश्चात का कुछ भाग पूरा करे,(अतःतकबीर के आरंभ एवं अंत का)पूरा ख्याल करना कठिन है,इस लिए इस कठीनई का ख्याल करते हुए इसे वैध कर दिया गया है।

रुकू

- रुकू नमाज का एक स्तंभ है,इस पर फकीरों(विद्वानों)की सहमति है,यदि अज्ञानता अथवा भूल के आधार पर इस स्तंभ को छोड़दे तो नमाज निरस्त हो जाएगी।

³¹ इस हडीस का संदर्भ गुजर चूका है।

³² इस हडीस का संदर्भ गुजर चूका है।

ुकू के स्तंभ होने का प्रमाण यह है कि नबी سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया जिन्हों ने नमाज में गलती की थी कि:"इसके पश्चात संतुष्टि से उकू करो" |³³तथा अल्लाह का कथन है:

(اَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا)

अर्थातः उकू करो एवं सजदा करो ।

उकू करने का मसनून विधि यह है कि(उकू के लिए)जब तक बीर कहे तो हाथों को उठाए, इसका सबूत उमर रजीअल्लाहु अंहुमा की यह हडीस है कि: संदेशवाहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज आंभ करते, और जब उकू करते, और जब उकू से अपना सर उठाते, तो अपने दोनों हाथ उठाते" |³⁴तथा साअदी रजीअल्लाहु अंहु की यह हडीस भी इसका प्रमाण है: "इन स्थानों पर संदेशवाहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ उठाया करते थे" |³⁵इमाम बोखारो फरमाते हैं: "सतरा सहाबा से वर्णित है कि सहाबा उकू करते समय दोनों हाथ उठाया करते थे" फिर आपने उन सहाबा के नामों का उल्लेख किया ।

- उकू के लिए इस प्रकार झुकना पर्याप्त है कि: उसके दोनों हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं, यदि वहाँ तक हाथ नहीं पहुंच पाए तो रकू अमान्य होगा, क्योंकि उसने उकू का अनिवार्य भाग पूरा नहीं किया ।
- उकू का मशरू(वैध)विधि यह है कि हाथ को घुटने पर बलपूर्वक रखा जाए, इसके दो विधि हैं:

प्रथम: हाथ से घुटने को पकड़े, एक हडीस आई है जिसकी सनद इंशाअल्लाह सही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम: "अपने घुटने को हाथ से पकड़ा करते थे" |³⁶

³³ इस हडीस का संदर्भ बीत चुका है ।

³⁴ इसे बोखारी(736) और मुस्लिम(390)ने वर्णन किया है ।

³⁵ इस हडीस का संदर्भ बीत चुका है ।

³⁶ इसे अबूदाऊद(734), तिरमिजी(260) और दारमी(1346)ने

द्वितीयः उंगलियों के बीच अंतर रखना, अबूमसउद अंसारी रजीअल्लहु अंहु की हडीस में आया है: "पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते तो उंगलियों के बीच अंतर रखते" |³⁷ यह हडीस ज़ईफ(प्रमाणीकरण के दृष्टिकोण से निर्बल हडीस) है, किंतु एक अन्य समानार्थक हडीस(शाहिद) से इसे बल मिलती है, वह हडीस वाइल बिन हजर रजीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि: नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाते तो उंगलियों के बीच अंतर रखते, और जब सजदा करते तो उंगलियों को मिला कर रखते" |³⁸

इन शब्दों में वर्णन किया है: अब्बास बिन सहल बयान करते हैं कि अबू होमैद, अबू ओसैद, सहल बिन सअ़द और मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजीअल्लाहु अंहुम इकट्ठे हुए और आपस में संदेशवाहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को परिभाषित किया तो अबू होमैद ने कहा: में संदेशवाहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को तुम लागों से अधिक जानता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया तो दोनों हाथ दोनों घुटने पर रखा मानो आप उनको पकड़े हुए हैं और अपने दोनों हाथों को कमान की तांत के जैसे किया और उन्हें अपने दोनों पहलुओं से अलग रखा" | अबूदाउद के वर्णित शब्द इस प्रकार है "फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया तो दोनों हाथ दोनों घुटने पर रखा मानो आप उनको पकड़े हुए ह" | इस हडीस को बोखारी ने भी वर्णित किया है, किंतु इन शब्दों के साथ: "अबू होमैद साअ़दी रजीअल्लाहु अंहु ने कहा कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तुम सबसे अधिक याद है | मैंने आपको देखा कि जब आप तकबीर कहते तो अपने हाथों को कांधों तक ले जाते, जब आप रुकू करते तो घटनों को अपने हाथों से पूर्णरूपेण पकड़ लेते और पीठ को छुका देते | फिर जब रुकू से सर उठाते तो इस प्रकार सीधे खड़े हो जाते कि समस्त जोड़ सीधे हो जाते | जब आप सजदा करते तो आप अपने हाथों को (भूमि) पर इस प्रकार रखते कि न बिलकुल फैले हुए होते और न सिमटे हुए | पैर की उंगलियों के मुँह किल्ला(काबा) की ओर रखते | जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकअतों के पश्चात बैठते तो बाएं पॉव पर बैठते और दाएं पॉव खड़ा रखते और जब अंतिम रकअत में बैठते तो बाएं पैर को आगे कर लेते और दाएं को खड़ा कर देते फिर मक़अ़द(पुट्ठा) पर बैठते" | इस हडीस को अबूदाउद(731) ने इन शब्दों के साथ वर्णन किया है: "अबू हामैद रजीअल्लाहु अंहु ने कहा... फिर वर्णनकर्ता ने इसी हडीस के कुछ भाग का उल्लेख किया, और कहा: "जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते तो अपनी दोनों हथेलियों को अपने दोनों घुटनों पर रखते और अपनी उंगलियों के बीच अंतर रखते, फिर न अपनी पीठ का झुकाते, न सर को उँचा करते, न मुँह मो दाएं अथवा बाएं ओर मोड़ते(बल्कि सीधा किल्ला) काबा(की ओर रखते)" |

³⁷ इसे अहमद(17081), दारमी(1343) ने अबूमसउद अंसारी रजीअल्लाहु अंहु से वर्णन किया है: "आपने अपने हाथों को घुटनों पर रखा और उंगलियों के बीच अंतर रखी यहां तक कि प्रत्येक अंग अपने अपने स्थान पर स्थिर हो गया", तथा अबूदाउद(863) ने इसे इन शब्दों के साथ वर्णन किया है: "फिर जब आप रुकू में गए तो आपने अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखा और अपनी उंगलियों उससे नीचे रखीं और अपनी दोनों कहनियों के बीच अंतर रखा यहां तक कि प्रत्येक अंग अपने अपने स्थान पर स्थिर हो गया..." हडीस।

³⁸ इसे इब्ने हिब्बान(1920) और बैहकी ने अलकुबरा(2526) में वर्णन किया है।

ये समस्त हडीसें इस बात पर साक्ष्य हैं कि(हाथों को घुटनों पर)रखना और(हाथों से)घुटनों को पकड़ना उसी समय संभव है जब उंगलियों के बीच अंतर रखी जाए ।

- रुकू में(एतेदाल)सीधा रहना मुस्तहब(इस्लामी दृष्टिकोण से अच्छा है),इसका प्रमाण:अनस रजीअल्लाहु अंहु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:"रुकू और सजदे में सीधे रहो" |³⁹ तथा आयशा रजीअल्लाहु अंहा की हडीस भी इसका प्रमाण है:"जब रुकू करते तो अपन सर न पीठ से उँचा करते और न उससे नीचे करते बल्कि मध्य में रखते" |⁴⁰अर्थात् न नीचा करते और न उँचा करते ।
- निष्कर्ष यह कि रुकू का मसनून विधि यह है कि:रुकू करने वाला झुके,अपनी पीठ को फैला कर सीधी रखे,अपने सर को अपनी पीठ के बराबर रखे,न इसे उँचा करे और न नीचा करे,अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखे और उंगलियों के बीच अंतर रखे,जब रुकू में यह सब विशेषताएं एक साथ इकट्ठा हों तो यह रुकू सुन्नत के अनुसार होगा ।
- इसमें कोई मतभेद नहीं कि नमाज़ी के लिए रुकू में पढ़ना سبحان ربِّي العظيم मसनून (आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल) कार्य (के ठीक अनुसूप)है,सर्वोत्तम कथन के अनुसार यह दुआ नमाज़ की अनिवार्यता में से है,इसका सबूत होजैफा रजोअल्लाहु अंहु की यह हडीस है:"आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते ता यह दुआ पढ़त" |⁴¹और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्णन है:"जिस प्रकार तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते देखा है उसी प्रकार नमाज़ पढ़ा कर" |⁴²तथा उक्बा रजीअल्लाहु अंहु की हडीस

³⁹ इसे निसाई ने:(1028)और दारमी(1361)ने इन शब्दों के साथ वर्णन किया है:"रुकू और सजदे में एतेदाल करो(सीधे रहो),तुम में से कोई अपनी कलाइयाँ इस प्रकार न फैलाए जिस प्रकार कुत्ता बिछाता है",इस हडीस को बोखारी(532)और मुस्लिम(493)ने इन शब्दों के साथ वर्णन किया है:"सजदे में एतेदाल करो(सीधे रहो)और तुम में से कोई अपनी कलाइयाँ इस प्रकार न फैलाए जिस प्रकार कुत्ता बिछाता है" ।

⁴⁰इसे मुस्लिम(498)ने वर्णन किया है ।

⁴¹ मुस्लिम(772)

⁴² इस हडीस का संदर्भ आगे बीत चुका है ।

भो इस बात पर साक्ष्य है कि:जब आयत «فَسَبَحَ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ»अपने महान रब के नाम की प्रशंसा किया करो"(सूरह अलवाक़िआः74)उत्तरी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:"इसे अपने रुकू में करलो",⁴³इस हडीस की सनद(वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला)जईफ(प्रमाणीकरण के दृष्टिकोण से निर्बल हडीस)।

➤ यह दुआ पढ़ना मुस्तहब;(जिस कार्य के करने से पुण्य और न करने पे पाप न हो)है जो सही मुस्लिम में आयशा रज़ीअल्लाहु अंहुमा से वर्णित है कि:रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदे में यह दुआ पढ़ा करते थे:

"سبوح قدوس رب الملائكة والروح"

अर्थातःअत्यंत पवित्र है पावन देवदूतों एवं रूह(जिबरील)का परमेश्वर।⁴⁴

➤ यह दुआ पढ़ना भी मुस्तहब(जिस कार्य के करने से पुण्य और न करने पे पाप न हो)जो हडीस की पुस्तकों में वर्णित है:

"سبحان ذي الجبروت والملكوت والكرياء والعظمة"

अर्थातःउस हस्ती की जय हो जिसके पास शक्ति,राज्य,अभिमान एवं महानता है।⁴⁵

"سبحان ربِّي العظيم"अतःतस्बीह में न्यूनतम एक बार हय दुआ पढ़ना अनिवार्य है:

कमाल(संपूर्णता)का न्यूनतम भाग यह है कि तीन बार यह दुआ पढ़े और कमाल(पूर्णता)का सर्वोत्तम भाग यह है कि दस बार पढ़े।

इमाम अहमद फरमाते हैं:हँसन से कथित है कि:तस्बीहे कामिल(संपूर्ण प्रशंसा)का आकांक्षा है कि सात बार पढ़े,मध्यम रूप यह है कि पांच बार पढ़े और न्यूनतम रूप यह है कि तीन बार पढ़े।

⁴³ इसे अबूदाऊद(869),इब्ने माजा(887),अहमद(17414)और दारमी(1344)ने वर्णित किया है।

⁴⁴ इसे मुस्लिम(487)ने वर्णन किया है।

⁴⁵ इसे अहमद(24480),अबूदाऊद(873)और निसाई(1049)ने वर्णित किया है।

एक कथन यह है कि:अधिकतम संख्या का कोई सीमा नहीं है।

तथा यह भी एक वर्णन है कि:तस्बीह(प्रशंसा)की संख्या में गुंजाइश है,जो कि परिस्थितियों एवं व्यक्तियों के अनरूप बदलती रहती है,हड़ीस में न इसके सर्वोत्तम श्रेणी को सिमित किया गया है और न निम्नतम श्रेणी को,यह अंतिम कथन ही सही है।

रुकू के पश्चात एतेदाल(सीधा रहना)

- रुकू के पश्चात एतेदाल(सीधा रहना)का मतलब यह है कि रुकू से उठने के पश्चात संतुष्टि से खड़ा हो,यह नमाज़ का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है,क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया जिस ने नमाज़ में ग़लती की थी कि:"अपना सर उठाओ यहाँ तक कि सीधे खड़े होजाओ" |⁴⁶
- रुकू से सर उठाना भी एतेदाल(सीधा खड़ा होना)में प्रवेश है,क्योंकि रुकू से सर उठाए बिना एतेदाल करना संभव ही नहीं है।
- रुकू से उठने के पश्चात एतेदाल(सीधा खड़ा होना)का रूप यह होना चाहिए:(इस प्रकार से खड़ा होया जाए कि)पीनठ का हर जोड़ अपने स्थान पर लौट जाए और न्यूनतम एतना देर खड़ा रहे कि दुआ पढ़ सके।

इसी लिए हड़ीस में आया ह कि:"नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठात तो बिल्कुल सीधा खड़े होते" |(खड़े होने)का मतलब यह है कि:एतेदाल के साथ(बिल्कुल सीधे)खड़े रहते,अतःजो व्यक्ति रुकू से उठने के फौरन पश्चात सजदा में चला जाए तो वह रुकू के बाद एतेदाल करने वाला न गिना जाएगा बल्कि इतमिनान(विराम)जो कि स्तंभ है,उसका छोड़ने वाला माना जाएगा।

अबूहोमैद रज़ीअल्लाहु अंहु संदेशवाहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ की शैली का उल्लेख करते हुए फरमाते हैं:"जब रुकू से सर उठाते तो इस प्रकार सीधे खड़े जा जाते कि समस्त जोड़ सीधे हो जाते" |⁴⁷

⁴⁶ इस हड़ीस का संदर्भ बीत चुका है।

⁴⁷ बोखारी(828)

आयशा रज़ोअल्लाहु अंहा बयान करती हैं कि:"पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो सजदे में न जाते यहां तक कि सीधे खड़े होजाते"मुस्लिम ।⁴⁸

- नमाज़ी के लिए मशरू(इस्लामी)है कि जब रुकू से सर उठाए तो तकबीर के साथ अपने हाथों को भी उठाए।उस स्थान पर दोनों हाथ उठाने की सुन्नत होने पर इन्हे उमर रज़ीअल्लाहु अंहुमा की हडीस साक्ष्य है कि जो गुज़र चुकी है।
- तकबीर के साथ दोनों हाथ उठाएः

इसका प्रमाण अबू ह॑मैद अलसाअदी रज़ीअल्लाहु अंहु की हडीस है जिस में है कि:फिर आपने ﴿سَمِعَ اللَّهُ مِنْ أَنْوَلِكُ﴾ कहा और दोनों हाथ उठाया" ।⁴⁹

बोखारी में वर्णित शब्द इस प्रकार हैःमैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ तकबीरे तहरीमा(प्रारंभिक तकबीर)से शुरू करते और तकबीर कहते समय अपने दोनों हाथों को कांधे तक उठा कर ले जाते और जब रुकू के लिए तकबीर कहते तब भी इसी प्रकार करते और जब ﴿سَمِعَ اللَّهُ مِنْ أَنْوَلِكُ﴾

«अंवृकहते तब भी इसी प्रकार करते और «أَنْوَلِكُ سَمِعَ اللَّهُ مِنْ»कहते।सजदा करते समय अथवा सजदे से सर उठाते समय इसी प्रकार दोनों हाथ नहीं उठाते थे ।⁵⁰

अतःहडीस के शब्दः"जब तकबीर कहते"(तो रफएं यदेन)(दोनों हाथों को उठाते)...और जब कहते तब भी इसी प्रकार करते",इस बात का प्रमाण हैं कि दोनों हाथों को उसी समय उठाए जब तकबीर प्रारंभ कर।

- नमाज़ी के लिए मशरू है कि जब रुकू से सर उठाए तो «سَمِعَ اللَّهُ مِنْ حَمْدَهُ» कहे,उसके बाद यह दुआ पढ़े जैसा कि अनेक सत्य हडीसों में आया है:

⁴⁸ इसे मुस्लिम ने वर्णन किया है(498)

⁴⁹ इसे तिरमिज़ी(304),इन्हे माजा(862),इन्हे हिब्बान(1865)और इन्हे खाज़ैमा(587)ने वर्णन किया है और इसका मूलरूप बोखारी(828)में है।

⁵⁰ सही बोखारी(738)

"اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض ، وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والحمد، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد")

⁵¹ इस हृदोसों में तमहीद(रुकू के बाद की दुआ)के अनेक विधि आए हैं,उन हृदीसों का सार यह है कि:उसके चार रूप हैं:

प्रथम रूप: "رِبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ"

"رِبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" "द्वितीय रूपः"

"اللهم ربنا لك الحمد" تृतीय रूपः

"اللهم ربنا ولك الحمد" "चौथा रूपः"

नमाजी के लिए उत्तम यह है कि इन चारों रूपों पर अमल करें, ये चारों विधि एवं रूप यह वैध हैं, अतः अधिकतर इस दुआ को पढ़ें: "اللهم ربنا لك الحمد" : "अथवा" "ربنا"

"ولك الحمد" क्योंकि यह दोनों सर्वोत्तम रूप हैं।

अच्छा तो यह है कि नमाज़ी रुकू से सर उठाने के पश्चात् (क्याम के अवस्था जैसे ही) एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखे, उन्हें नीचे न गिराए, अतः यदि गिरा भी ले तो कोई बात नहीं, इस विषय में गुंजाइश है, क्योंकि इस संबंध से कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं आई है, इमाम अहमद ने इस को स्पष्ट किया है।

सजदा:

- सुन्नत यह है कि मनुष्य तकबीर कहते हुए सजदा में जाए और रफए यदैन(दोनों हाथों को उठाना)न करे,अर्थातःसुन्नत यह है कि सजदा करते समय रफए यदैन(दोनों हाथों को उठाना)न करे,इसका प्रमाण इब्ने उमर रजीअल्लाह अंहुमा

⁵¹ देखें: अलमुग़नी(366 / 1), मोख्तसर अलखरकी(प022) और शरहे मुनतहिल एदारात(196 /)

की यह हडीस हैः "سَمْدَهُوكَ سَلَلَلَّا هُوَ أَلَّا هِيَ وَسَلَلَمَ نَمَاجِ آرَّبَ كَرَتَهُ سَمَّا يَأْنَهُ دَوَنَهُ هَاثَهُ كَوَ كَانَهُ تَكَ عَثَاتَهُ، إِسْكَيَ كَرَكَارَ جَبَ رُوكُو كَهُ لِيَهُ اللَّهُ" »

«أَكَهُتَهُ أَوَرَ جَبَ أَيَنَا سَرَ رُوكُو سَهُ عَثَاتَهُ تَهُ دَوَنَهُ هَاثَهُ بَيَ عَثَاتَهُ (رَفَعَهُ يَدِئَنَ كَرَتَهُ) أَوَرَ رُوكُو سَهُ سَرَ عَثَاتَهُ هَعَهُ، رِنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» كَهُتَهُ شَهُ | سَجَادَهُ مَهُ جَاتَهُ سَمَّا يَأْنَهُ رَفَعَهُ يَدِئَنَ كَرَتَهُ شَهُ |⁵²

- नमाज़ी के लिए अनिवार्य है कि अपने शरीर के सात अंगों पर सजदा करें, इस का प्रमाण इन्हे अब्बास रज़ीअल्लाहु अंहमा की यह हडीस है, फरमाते हैंः "پَيْغَامْبَرَ سَلَلَلَّا هُوَ أَلَّا هِيَ وَسَلَلَمَ نَمَاجِ آرَّبَ كَرَتَهُ سَمَّا يَأْنَهُ دَوَنَهُ هَاثَهُ كَوَ كَانَهُ تَكَ عَثَاتَهُ، إِسْكَيَ كَرَكَارَ جَبَ رُوكُو كَهُ لِيَهُ اللَّهُ" »⁵³ यह सात अंग हैं।
- इन सात अंगों में से यदि किसी अंग को भी सजदा में सम्मिलित नहीं किया, इस प्रकार कि वह अंग भूमि को बिल्कुल छू ही न सका तो सजदा अमान्य माना जाएगा, क्योंकि उसने नमाज़ के एक स्तंभ को छोड़ दिया।
- नाक सहित ललाट पर(एक ही साथ) सजदा करना वाजिब(अनिवार्य) है, यदि केवल ललाट पर सजदा करे तो सजदा पूरा नहीं होगा।
- इसी प्रकार यदि ललाट के बजाए केवल नाक को भूमि पर रखे तो सहाबा⁵⁴ की इस विषय में सहमति है कि सजदा नहीं होगा, यह एक बाह्य कार्य भी है, क्योंकि ललाट ही असल है, जैसा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हडीस हैः "سَاهَتْ حَدِيدِيَّهُ پَرَلَلَّا تَهُ" ।
- नमाज़ी के लिए जाएज़(वैध) है कि जब सजदा में जाए तो हाथों से पहले अपने घुटनों को भूमि पर रखे, यदि चाहे तो पहते हाथों को रखे फिर घुटनों को रखे, विद्धानों की सहमति है कि दानों अवस्था में नमाज़ सही होगी, किंतु सर्वोत्तम के विषय में विरोध है, सर्वच्च कथन के अनुसार हाथों से पहले घुटने को भूमि

⁵² इसे बोखारी(735), मुस्लिम(390) और अबूदाउद(722)ने वर्णन किया है।

⁵³ इसे बोखारी(809) और मुस्लिम(490)ने वर्णन किया है।

⁵⁴ देखेंः अलमोसूआ अलफिक़हीया अलकोयतिया: (196 / 12), अलअह़काम शरहो ओसूलिल अहकामः(226 / 1)।

पर रखना अधिक उत्तम है, यह वर्णन उमर बिन अलखत्ताब रजीअल्लाहु अंहु से वर्णित है, आप रजीअल्लाहु अंहु की सुन्नत भी अनुपालन योग्य है, यदि यह कार्य उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा हो, इस विषय में कोई स्पष्ट हडीस नहीं आई है, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं: अधिकांश विद्वानों के निकट इसी कार्य पर पालन किया जाता है, उनकी राय है कि हाथों से पहले घुटनों को भूमि पर रखे और जब क्याम(खड़ा होना) के लिए खड़ा हो तो घुटनों से पहले हाथों को भूमि से उठाए।⁵⁵

➤ सजदे के बीच बांहों को पहलुओं से अलग रखना सुन्नत है, इस पर अमल(पालन) करना मस्तहब(जिस कार्य के करने से पुण्य और न करने से पाप न हो) और एक कथन के अनुसार वाजिब(अनिवार्य) है।

इसके प्रमाण निम्न में हैं:

— अब्दुल्लाह बिन बोहैना रजीअल्लाहु अंहु की हडीस है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम: "जब नमाज़ पढ़ते तो अपने बाहों के बीच इतना अंतर रखते कि दोनों कांखों की सफेदी प्रकट होने लगती थी।"⁵⁶ यह हडीस सहीहैन(बोखारी एवं मुस्लिम) में आई है, कांखों की सपेदी इस लिए प्रकट होती थी कि आप हाथ एवं बाहों के बीच अधिक अंतर रखते थे, क्योंकि यदि थोड़ा अंतर रखते तो सहाबा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांखों की सपेदी न देख पाते।

— अनस बिन मालिक रजीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "सजदा करने में एतेदाल रखो(सीधे से करो) और कोई व्यक्ति तुम में से अपने बाहों को कुत्ते के जैसा न फैलाए।"⁵⁷

— आयशा रजीअल्लाहु अंहुमा से वर्णित है कि: "पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से रोका करते थे कि मनुष्य अपने दोनों हाथ भूमि पर दरिंदे(पशु) के जैसा बिछाए।"⁵⁸

⁵⁵ सोनने तिरमिज़ी:(56 / 2)

⁵⁶ इसे बोखारी(390) और मुस्लिम(405) ने वर्णन किया है।

⁵⁷ इसे बोखारी(822) और मुस्लिम(493) ने वर्णन किया है।

⁵⁸ इसे मुस्लिम(498) ने वर्णित किया है।

—अबूहोमैद रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमः "जब सजदा करते तो अपने हाथों को(भूमि पर)इस प्रकार रखते कि न बिल्कुल फैले हुए होते और न सिमटे हुए।पैर की उंगलियों के मुंह किब्ला(काबा)की ओर रखते" |⁵⁹

—जाबिर रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि पैगंगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:"जब तुम में से कोई सजदा करे तो एतेदाल(सीधा खड़ा)करे और अपने हाथ को कुत्ते के जैसा न बिछाए" |⁶⁰

—इन्हे अब्बास रज़ीअल्लाहु अंहुमा से वर्णित है कि:में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके पीछे से आया(और आप सजदे में थे)तो मैंने आपकी कांखों की सपेदी देखी,आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्रकार सजदा किए हुए थे कि अपने दोनों बाहों को पसलियों से अलग किए हुए थे और अपना पैट भूमि से उठाए हुए थे |⁶¹

हडीस में(^ع)शब्द आया है जिसका अर्थ है:अपने दोनों बाहों को पसलियों से अलग किए हुए थे और अपना पैट भूमि से उठाए हुए थे ।

- नमाज़ी को यह अधिकार प्राप्त है कि सजदे की अवस्था में चाहे तो अपने हाथों के बराबर रखे और चाहे तो कानों के बराबर रखे,दोनों ही सत्य हडीस से सिद्ध है ।
- सुन्नत है कि नमाज़ी अपनी दोनों जांघों की बीच अंतर रखे और उन्हें पेट से अलग रखे,जैसा कि इन्हे अब्बास रज़ीअल्लाहु अंहुमा और अबूहोमैद अस्साअदी रज़ीअल्लाहु अंहु की हडीस से सिद्ध है कि:"जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो अपने पैट को अपनी दोनों जांघों से किसी भाग पर उठाए बिना अपनी दोनों जांघों के बीच अंतर रखा" |⁶²

⁵⁹ इसे बोखारी(828)ने वर्णन किया है ।

⁶⁰इसे अहमद(14018),अबूदाउद(897),तिरमिज़ी(275)और इब्ने माजा(891)ने वर्णन किया है ।

⁶¹ सोनने अबी दाउद:(899)

⁶² इसे अबूदाउद(735)ने वर्णन किया है,यह हडीस उपरोक्त शब्द के साथ ज़ईफ(प्रमाणीकरण की दृष्टिकोण से निर्बल हडीस)है,अतःइस विषय में इन्हे अब्बास रज़ीअल्लाहु अंहुमा की हडीस विश्वसनीय है,केवल तरीका बयान करने के लिए में ने उपरोक्त शब्द का उल्लेख किया है ।

यह दोनों हडीसें इस बात पर साक्ष्य हैं कि नमाजी अपनी जांघों एवं पैट के बीच अंतर रखे, अपनी जांघों के किसी भाग पर अपने पैट को न उठाए, बल्कि जांघों एवं पैट के बीच अंतर रखे, इसी प्रकार दोनों जांघों के बीच भी अंतर रखे।

➤ पैर की प्रकृति के संबंध में यह सुन्नत है कि: सजदे के बीच उंगलियों का मुँह किल्ला(काबा)की ओर रखे।

क्या सजदा के समय दोनों पैर को मिला कर रखे अथवा दोनों के बीच दूरी रखे? इस विषय में विराध है, अतः इस में गुंजाइशा है और शायद अति सही यह है कि दोनों पैर को मिला कर रखे।

➤ वाइल बिन हजर रजोअल्लाहु अंहु की हडीस है कि: "नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते तो उंगलियों के बीच अंतर रखते और सजदा करते तो उंगलियों को मिला कर रखते" |⁶³

यह हडीस इस बात पर साक्ष्य है कि सजदे की अवस्था में उंगलियों को मिला कर रखना मशरू है, इस हडीस की सनद(वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला) हसन श्रेणी की है, इसकी सशक्तिकरण उन हडीसों से होती है जिन में उंगलियों का मुँह किल्ला(काबा)की ओर रखने की शिक्षा दी गई है, क्योंकि उंगलियों को किल्ला(काबा)की ओर रखने का सामान्यतः यह उद्देश है कि उन्हें आपस में मिला कर रखा जाए।

➤ सारांश यह कि सुन्नत के अनुसार जो सजदे होंगे उन में निम्न छ विशेषताओं का इकट्ठा होना अवश्य है:

प्रथम विशेषता: बाहों को न फैलाए।

द्वितीय विशेषता: दोनों हाथों एवं पहलुओं के बीच एतना अंतर रखे कि कांख की सफेदी प्रकट हो सके।

तृतीय विशेषता: जब सजदा करे तो अपने हाथों को कानों अथवा कांधों के बराबर रखे।

⁶³ इस हडीस को इब्ने हिब्बान(1920) और बैहकी ने अलकुबरा(2526) में वर्णन किया है।

चौथी विशेषता:दोनों पैरों को खड़ा एवं उंगलियों को किब्ला(काबा)की ओर रखे ।

पांचवीं विशेषता:पैट को जांधों से अलग रखे ।

छठी विशेषता:हाथ की उंगलियों को किब्ला(काबा)की ओर रखे ।

जब सजदा इन छ विशेषताओं से चित्रित होतो वह सुन्नत के अनुसार माना जाएगा,यदि उसमें इन गुणों की कमी पाई गई तो वह सुन्नत के अनुगमन में कमी माना जाएगा,अतःसजदा प्रयाप्त एवं मान्य होगा कियोंकि यह विशेषताएं मुस्तहब(जिस कार्य के करने से पुण्य और न करने से पाप न हो)हैं ।

- यह वैध है कि मनुष्य अपने शरीर के सातों अंगों के साथ भूमि पर सजदा करे,यदि उन अंगों एवं भूमि के बीच कोई वस्तु बाधा हो,सिवाए ललाट के,अतःयह मकरूह(जिसका न करना उत्तम हो)है कि मनुष्य बिना किसी आवश्यकता के ऐसी चीज़ पर सजदा करे जो उससे जुड़ा हो,जैसे उसके कपड़े का किनारा,अतःजब आवश्यकता हो तो ऐसा करना बिना किसी कराहत(जिसका न करना उत्तम हो)के जाएज(वैध)है ।
- स्जदे में "سبحان رب الأعلى"पढ़ना मशरू है,जैसा कि सही हडीस में आया है कि नबी سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो यह दुआ पढ़ते:"سبحان رب الأعلى" |⁶⁴तथा उक्बा रजीअल्लाहु अंहु की हडीस है कि जब "سبح اسم ربك الأعلى"(अपने अत्यंत अल्लाह के नाम की पवित्रता बयान कर!)उतरी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:"इसे सजदा के लिए करलो" |⁶⁵
- रुकू की दुआ के बयान में इन दुआओं का वर्णन हो चुका है जो सजदे में पढ़ना मुस्तहब(जिस कार्य के करने से पुण्य और न करने से पाप न हो)है ।

⁶⁴ इसे मुस्लिम(772)ने हाजैफा रजीअल्लाहु अंहु से वर्णन किया है ।

⁶⁵ इसे अबूदाउद(869),इब्ने माजा(887),अहमद(17414),और दारमी(1344)ने वर्णन किया है ।

- सजदा से उठने के पश्चात एतेदाल करना(अच्छे से बैठना)नमाज़ा का एक स्तंभ है,इसका प्रमाण पैगंबर سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हडीस है:"जब सजदा पूर्ण रूप से करलो तो सर उठाओ और अच्छे से बैठ जाओ" |⁶⁶ सजदा से सर उठाना एक स्तंभ है और सजदों के बीच एतेदाल करना द्वितीय स्तंभ है।
- सुन्नत है कि दो सजदों के बीच अच्छे से बैठने के लिए जब प्रथम सजदे से सर उठाए तो तकबीर कहे,क्योंकि सत्य हडीस से सिद्ध है कि पैगंबर سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम(नमाज में)हर झुकने और उठने के समय अल्लाहु अकबर कहते थे |⁶⁷
- दो सजदों के बीच बैठना नमाज का स्तंभ है,जैसा कि हडीसुलमुसी में आया है:"जब सजदा पूर्ण रूप से करलो तो सर उठाओ और अच्छे से बैठ जाओ" |⁶⁸

तथा आयशा रजीअल्लाहु अंहा की हडीस है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा से सर उठाते तो दूसरा सजदा न करते यहां तक कि बिल्कुल सीधे बैठ जाते |⁶⁹

- (दो सजदों के मध्य बैठने)का तरीका यह है:नमाजी अपना बायां पैर पीछे और दायां पैर खड़ा रखे,आयशा रज़अल्लाहु अंहा की हडीस में सिद्ध है कि पगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब(दो सजदों के बीच)बैठते तो बाएं पैर को बिछाते और दाएं पैर को खड़ा रखते |⁷⁰यह हडीस सही(मुस्लिम)में आई है,तथा अबू होमैद रजीअल्लाहु अंहु की हडीस में भी आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एसा किया करते थे |⁷¹सलफ(पूर्व काल के आदरनीय इस्लामी पूर्वज)से ख़लफ(पश्चात के माननीय इस्लामी विधिवेत्ता)तक समस्त मुसलमानों का अमल भी इसी पर रहा है।

⁶⁶ इस हडीस का संदर्भ आगे बीत चुका है।

⁶⁷ इस हडीस का संदर्भ आगे बीत चुका है।

⁶⁸ इस हडीस का संदर्भ आगे बीत चुका है।

⁶⁹ सही मुस्लिम(498)

⁷⁰ सही मुस्लिम(489)

⁷¹ इस हडीस का संदर्भ आगे बीत चुका है।

- सुन्नत है कि मनुष्य(दो सजदों की बीच)अपने बाएं हाथ(की उंगलियों को)फैलाए रखे,और अपने दाएं हाथ को अपनी जांघ पर इसी प्रकार से रखे जिस प्रकार से तशह्हुद में रखता है।
 - मुस्तहब है कि(दो सजदों के मध्य)मनुष्य अपने दाएं पैर की उंगलियों को किल्ला(काबा)रखे,क्योंकि सुन्नत है कि वह उस पैर को खड़ा रखे,और जब खड़ा रखे तो अवश्य है कि उंगलियां किल्ला(काबा)की ओर हों।
 - दो सजदों के बीच दुआ पढ़ना वाजिब(अनिवार्य)है,दो सजदों के मध्य यह दुआ तीन बार अथवा उससे अधिक बात पढ़े:(رَبِّ اغْفِرْلِي),होजैफा रज़अल्लाहु अंहु की हडीस में आया है कि:पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सतदों के मध्य(رَبِّ اغْفِرْلِي)

(اَغْفِرْلِي،رَبِّ اغْفِرْلِي)पढ़ा करते थे।^{۱۷}विद्वानों ने इस हडीस का अर्थ यह बताया है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारबार यह दुआ दोहराया करते थे क्योंकि दो सजदों के मध्य आप के बैठने की अवधि लगभग आपके सजदों के समान हुआ करती थी।

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजौअल्लाहु अंहुमा से वर्णित है कि पैगंबर سल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम दोनों सजदों के मध्य में यह दुआ पढ़ा करते थे: اللهم اغفر لي وارحني وعافني»

किंतु कुछ हृदीस के संरक्षों ने यह संकेत किया है कि यह हृदीस ज़ईफ़;(प्रमाणीकरण की दृष्टिकोण से निर्बल हृदीस)है।

इमाम अहमद ने होजैफा रजीअल्लाहु अंहु की हडीस में अंकित दुआ को मुस्तहब बताया है, क्योंकि उनके निकट वह इन्हे अब्बास की हडीस से अधिक उत्तम है, अतः इन्हे अब्बास की हडीस पर अमल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है।

⁷² इस हंदीस को अबूदाउद (874), निसाई (1145), इन्हे माजा (897), अहमद (23375) और दारमी (1363) ने वर्णन किया है।

- जब नमाज़ी जल्साए इस्तिराहा(विराम के लिए बैठना)–जो लोग इसकी अनिवार्यता के पक्ष में हैं,उनके निकट–के पश्चात खड़ा होना चाहिए,तो अपने हाथों के सहारे से खड़ हो,यदि जल्साए इस्तिराहा(विराम के लिए बैठना)ने करे और फोरन ही खड़ा होजए–जो कि हमारे निकट उत्तम है,अर्थातः जल्साए इस्तिराहा(विराम के लिए बैठना)मुस्तहब नहीं है–तो वह अपने पैर के सहारे घुटनों के बल खड़ा हो ।

द्वितीय रकअृतः

दूसरी रकअृत भी प्रथम रकअृत के जैसा ही पढ़ी जाएगी,क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहबी से फरमाया जिन स नमाज़ में ग़लती हुई थी कि:"इसी पकार अपनी पूरी नमाज़ में करो" |⁷³

अतःइस समानता से निम्न की चीज़ें अपवाद हैं:

प्रथमःतकबीरे तहरीमा(प्रारंभिक तकबीर):अतःद्वितीय रकअृत में तकबीरे तहरीमा ने कहे,क्योंकि यह नमाज़ के आरंभ के लिए मशरू है,इसी लिए प्रथम रकअृत के अतिरिक्त किसी रकअृत भी में तकबीरे तहरीमा नहीं है,न द्वितीय रकअृत में न उसके पश्चात ।

द्वितीयःदोआए इस्तफताह(प्रारंभिक प्रार्थना):नमाज़ी के लिए केवल प्रथम रकअृत में ही दोआए अस्तिफताह पढ़ना मुस्तहब है,यदि प्रथम रकअृत में भूल जाए अथवा संकल्पपूर्वक करे,तो उसके पश्चात यह दुआ नहीं पढ़े,क्योंकि उस सुन्नत का स्थान प्रथम रकअृत ही है ।

तृतीयःनीयत का नवीकरणःनमाज़ी के लिए यह मशरू नहीं कि द्वितीय रकअृत में नियत का नवीकरण करे,बल्कि नियत का समिलित होना ही प्रयाप्त है ।

⁷³इस हडीस का संदर्भ बीत चुका है ।

तशह्हुदः

➤ प्रथम तशह्हुद के समय हाथ रखने की दो विशेषताएं हैं:

प्रथम विशेषता:अपने दोनों हाथों को दोनों जांघों पर रखे ।

जैसा कि अब्दुल्लाह बिन अलज़ोबैर रजोअल्लाहु अंहु की हडीस है कि:"रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब(नमाज में तशह्हुद के लिए)बैठते तो अपना दायां हाथ अपनी दाएं जांघ पर और अपना बायां हाथ अपनी बाएं जांघ पर रखते और बाएं घुटने को अपनी बाएं हथेली के अंदर ले लेते" |⁷⁴यह शब्द सही मुस्लिम में सिद्ध है ।

द्वितीय विशेषता:अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखे:

इसका प्रमाण अब्दुल्लाह बिन उमर रजीअल्लाहु अंहुमा की यह हडीस है कि:आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब(तशह्हुद के लिए)बैठते तो अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखते |⁷⁵यह हडीस भी सही मुस्लिम में है ।

सुन्नत है कि कभी कभार अपने बाएं घुटने को अपनी बाएं हथेली के अंदर लेले जैसा कि अब्दुल्लाह बिन अलज़ोबैर रजीअल्लाहु अंहु की हडीस में आया है |⁷⁶

एक कथन के अनुसार:अधिक उचित यह है कि इस सुन्नत पर तवरुक(अंतिम तशह्हुद में बायां पैर दाएं पैर के नीचे से आगे निकाल कर बैठना)के मस्य अमल किया जाए,क्योंकि तवरुक के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर तलकीम करना(अर्थातःबाएं घुटन को बाएं हथेली के अंदर रखना)कठिन है ।

तशह्हुद के समय हाथ रखने की तीन विशेषताएं हैं:

प्रथम विशेषता:सबसे छोटी उंगली और उससे पहले की उंगली को बंद रखे,बीच वाली उंगली को अंगूठे से मिला कर चक बनाए—जैसे लोहे का चक होता है—और शहादत की उंगली(तर्जनी) से ईशारा करे ।

⁷⁴ सही मुस्लिम(579)

⁷⁵ सही मुस्लिम(580)

⁷⁶ इस हडीस का संदर्भ बीत चुका है ।

यह विशेषता वाएँ बिन हजर रजीअल्लाहु अंहु की हडीस में आई है⁷⁷और यह सत्य है ।

द्वितीय विशेषता:यह गुण उमर रजीअल्लाहु अंहु के पुत्र की हडीस में आया है जो सही मुस्लिम में है कि:नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ पर 53 की गांठ लगाई ।⁷⁸इसका रूप यह है कि:सबसे छोटी उंगली,उससे पहले वाली उंगली और बीच वाली उंगली को बंद रखे,अंगूठे को शहादत वाली उंगली(तर्जनी)की जड़ में रखे और शहादत की उंगली से ईशारह करे ।

तृतीय विशेषता:सबसे छोटी उंगली,उससे पहले वाली उंगली,बीच वाली उंगली और अंगूठे को बंद रखे,अर्थात् तर्जनी के छोड़के सारे उंगलियों को बंद रखे,और उसी से ईशारह करे ।यह विशेषता भी सही मुस्लिम में इन्हे उमर रजीअल्लाहु अंहुमा से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी समस्त उंगलियों को बंद रखा और तर्जनी से ईशारह किया ।⁷⁹

इसी प्रकार से हमारे समक्ष तीन विशेषताएँ प्रकट हुई,मनुष्य के लिए मशरू(अनिवार्य)है कि इन तीनों का पालन करे,अतःकभी प्रथम गुण को अपनाए,कभी द्वितीय का पालन करे और कभी तृतीय को अपनाए ।

- उंगलियों को बंद रखने और शहादत की उंगली से ईशारह करने की ये अनेक विधियाँ केवल जल्साए तशह्फुद (द्वितीय एवं अंतिम रकअ़तों में द्वितीय सजदे के पश्चात बैठना)के लिए हैं,जैसा कि इन्हे उमर रजीअल्लाहु अंहुमा की हडीस में आया है:"जब तशह्फुद के लिए बैठते",अतःदो सजदों के बीच शहादत की उंगली से ईशारह करना मशरू नहीं है,बल्कि उस अवस्था में उंगलियों को फैला कर रखना मशरू है ।
- जब नमाज़ी शहादत की उंगली से ईशारह करे तो उसके लिए मशरू(अनिवार्य)नहीं कि उसे थोड़ा झुकाए,क्योंकि सत्य हडीस में इसका प्रमान नहीं आया है ।
- मसनून विधि यह है कि बिना हरकत के अपनी उंगली से ईशारा करे,अर्थात् जब तशह्फुद में बैठे तो उंगली को हरकत न दे,क्योंकि हरकत देने की कोई सत्य

⁷⁷ इस हडीस का संदर्भ बीत चुका है ।

⁷⁸सही मुस्लिम(115 / 580)

⁷⁹ सही मुस्लिम(116 / 580)

प्रमाण नहीं है,बल्कि अपनी उंगली से केवल ईशारा करे—उसे उठाए रख—हरकत ने दे,क्योंकि सत्य हडीसों में हरकत देने का उल्लेख नहीं आया है,बल्कि केवल उठा कर ईशारा करने का उल्लेख आया है,और एबादतें(प्रार्थनाएं)तौफीकी(इश्वर की ओर से शिक्षित)हैं।

सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन अलज़ोबैर रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है कि:"पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते तो अपना बायां पैर अपनी जांघ और अपनी पिंडली के बीच करलेते और अपना दायां पैर बिछा लते और अपना बायां हाथ अपने बाएं घुटने पर और अपना दायां हाथ अपनी दाएं जांघ पर रख लेते और अपनी उंगली से ईशारह करते" |⁸⁰

तथा सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ीअल्लाहु अंहुमा से वर्णित है कि:"रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशह्हुद में बैठते तो अपना बायां पैर अपने बाएं घुटने पर रखते और अपना दायां हाथ अपने दाएं घुटने पर रखते और उंगलियों से 53 की गांठ बनाते और तर्जनी से इशारह करते" |⁸¹

मुस्नद अहमद में वाएल बिन हजर रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है,वह कहते हैं:"मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप ने तकबीरे तहरीमा(प्रारंभिक तकबीर)कही तो कान की लो तक रफए यदैन किया(दोनों हाथों को उठाया),फिर जब रुकू किया,तथा जब ﴿كَفَلَ مُحَمَّدٌ﴾ कहा तो रफए यदैन किया,मैं ने आप को देखा कि आप नमाज में अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़े हुए हैं,जब आप(तशह्हुद में)बैठते तो आप ने बीच वाली उंगली एवं अंगूठे को मिला कर धेरा बनाया और तर्जनी से इशारा किया,अपने दाएं हाथ को दाएं जांघ पर और बाएं हाथ को बाएं जांघ पर रखा" |⁸²

इन समस्त सत्य हडीसों में बिना हरकत के इशारह करने का उल्लेख आया है।

⁸⁰ सही मुस्लिम(579)

⁸¹ सही मुस्लिम(580)

⁸² मुस्नद अहमद(19076)

► प्रथम तशह्हुद नमाज़ की अनिवार्यता में से है,यदि भूलवश छूट जाए तो सजदाए सहव के माध्यम से इसकी छतिपूर्ति की जाएगी ।

इसकी अनिवार्यता का प्रमाण यह है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नियमित रूप से करते थे और आपने फरमाया:"जिस प्रकार तुमने मुझे नमाज़ पढ़त देखा है उसी प्रकार नमाज़ पढ़ा करो" |⁸³यदि भूलवश छूट जाए तो सजदाए सहव से इसकी छतिपूर्ति की जाएगी ।

इन्हे मसउद रज़ीअल्लाहु अंह की हडीस में आया है:"(तशह्हुद में)यह दुआ पढ़ा करो:
التحيات لله |⁸⁴

इसी प्रकार इसकी अनिवार्यता का एक प्रमाण यह भी है कि पैगंबर سल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशह्हुद को विशेष रूप से पढ़ा करते थे,जैसा कि इन अब्बास रज़ीअल्लाहु अंहुमा से वर्णित है कि:"आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तशह्हुद उसी प्रकार सिखाते जिस प्रकार कुरान की काई सूरह सिखाते थे,अतःआप फरमाते थे कि:

«التحيات المبارکات الصلوات الطيبات اللہ السلام عليك أیها النبی ورحمة اللہ وبرکاته السلام علينا وعلى عباد اللہ الصالحین أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمدا رسول اللہ»

अर्थातः:"धन्य अभिवादन और अच्छी प्रार्थना अल्लाह ही के लिए हैं,हे पैगंबर आप पर शांति हो,और आप पर भगवान की दया एवं आशीर्वाद हो,हम पर और अल्लाह के नेक दासों पर शांति हो,मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा काई ईश्वर नहीं हैं और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद उनके दास एवं संदेशवाहक हैं" |⁸⁵

► प्रथम तशह्हुद में यह दुआ पढ़ना मशरू है:

⁸³इस हडीस का संदर्भ बीत चुका है।

⁸⁴बोखारी(835),मुस्लिम(402)

⁸⁵सही मुस्लिम(403)

«التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله»۔

तशहहुद की यह दुआ सहीहैन(बोखारी मुस्लिम)⁸⁶में इन्हे मसउद रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णित है और इसे अहमद ने अपनाया है।अबू ईसा तिरमिज़ी फरमाते हैं:"इन्हे मसउद की हडीस विभिन्न तुरुक़(स्त्रोत)से वर्णित है,तशहहुद के विषय में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह सबसे सत्य हडीस है,सहाबा एंव उनके पश्चात ताबेर्न(अनुयाइयों)में से अधिकतर विद्वानों का इसी पर पालन है"।⁸⁷

तशहहुद के अन्य दुआएं भी आई हैं,जैसे:

1.उमर बिन अलखत्ताब रज़ीअल्लाहु अंहु की हडीस,इमाम मालिक बिन अनस⁸⁸ने जिसका चयन किया है,उसमें यह दुआ आई है:

"التحيات لله ، الزاكيات لله ، الصلوات الطيبات لله"⁸⁹इस दुआ के शेष भाग इन्हे मसउद रज़ीअल्लाहु अंहु की उपरोक्त हडीस ही के जैसा है।

2.इन्हे अब्बास रज़ीअल्लाहु अंहुमा की हडीस,इमाम शाफ़ेई⁹⁰ ने इसका चयन किया है,उसमें यह शब्द आए हैं,"التحيات المبارکات الصلوات الطيبات لله"⁹¹,इस दुआ का शेष भाग भी इन्हे मसउद रज़ीअल्लाहु अंहु की उपरोक्त हडीस के जैसा है।

इसी प्रकार तशहहुद में पढ़ी जाने वाली दुआ के तीन प्रकार हुईं।

यह तीनों दुआएं जाएज़(वैध)हैं,इनमें से कोई भी दुआ पढ़े तो नमाज़ मान्य होगी,अतःसर्वोत्तम यह है कि इन दुआओं को बदल बदल कर पढ़ा जाए,ताकि सुन्नत

⁸⁶ इसका संदर्भ बीत चुका है।

⁸⁷ उनका यह कथन सोनने तिरमिज़ी में हडीस संख्या(289)के अंतर्गत देखा जा सकता है।

⁸⁸ देखें:अलमोदव्वेना(266 / 1),अत्ताज अलइकलील(250 / 2)

⁸⁹ इसे इमाम मालिक ने मोअत्ता में वर्णन किया है(53)

⁹⁰ देखें:अलउम:(140 / 1),असनल मतालिब:(164 / 1)

⁹¹ सही मुस्लिम(403)

के इन समस्त प्रकारों पर अँमल हो सके। अतः अधिकतर इन्हें मस्तुक की हडीस में आई दुआ का प्रयोग किया जाए। इन कारणों से जो मैंने उस हडीस के अंतर्गत उल्लेख किया है।

➤ प्रथम तशह्वुद में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना मशरू मर्ही है, बल्कि यह अंतिम तशह्वुद के साथ विशेष है।

इनुल क़ययम फरमाते हैं: "पहले तशह्वुद में संक्षेप करना मशरू है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब प्रथम तशह्वुद के लिए बैठते तो जल्द ही उठ जाते, प्रथम तशह्वुद में दरूद पढ़ना आप से सिद्ध नहीं, न ही आप ने अपनी उम्मत को इसकी शिक्षा दी और न ही किसी सहाबी ने इस अँमल को मुस्तहब (जिस कार्य के करने पुण्य आर न करने से पाप न हो) माना है"।⁹²

प्रथम तशह्वुद से उठना:

➤ जब प्रथम तशह्वुद से उठे तो उठने के समय रफए यदै(दोनों हाथों को उठान) मशरू है:

इसका प्रमाण इन्हें उमर रजीअल्लाहु अंहुमा की यह हडीस है: जब वह नमाज में प्रवेश करते तो प्रथम तकबीर तहरीमा (प्रारंभिक तकबीर) कहते और साथ ही रफए यदैद करते। इसी प्रकार जब वह करत तब और जब «سَمِعَ اللَّهُ مِنْ حَمْدَهُ» कहते तब भी रफए यदैन करते और जब कादा उल्ला (प्रथम तशह्वुद) से उठते तब भी रफए यदैन करते (दोनों हाथों को कांधों तक उठाते)। इन्हें उमर ने इस कार्य को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर संबंधित किया (कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी प्रकार से नमाज पढ़ा करते थे)।⁹³ इमाम बोखारी ने इस हडीस के लिए जिस अध्याय का गठन किया है, वह है: अध्यायः कादा उल्ला (प्रथम तशह्वुद) से उठने के पश्चात रफए यदैन करना।

⁹² जलाउल अफहाम: 360

⁹³ सही बाखारी (739)

इसी प्रकार अबू होमैद अस्साअ़दी रजीअल्लाहु अंहु की हडीस में आया है कि:पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस सहाबा के बीच जिनमें अबू क़तादा रजीअल्लाहु अंहु भी थे,उन्होंने कहा:"मैं आप लोगों में सबसे अधिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ के बारे में जानता हूँ",इसी हडीस में है कि उन्होंने फरमाया:"जब द्वितीय रकअ़त से उठते तो«أَكْبَرُ اللَّهُ»कहते,और दोनां हाथ उठाते यहां तक कि उन्हें अपने दोनों कांधों के बराबर ले जाते जिस प्रकार कि नमाज़ आरंभ करने के समय «أَكْبَرُ اللَّهُ»कहा था" |⁹⁴

नमाज़ का शेष भाग:

► नमाज़ का शेष भाग—तृतीय एवं चौथी रकअ़त—बिल्कुल उसी प्रकार पढ़े जिस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय रकअ़त पढ़ा था,इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हडीस है जो आपने उस सहाबी से फरमाया जिनसे नमाज़ में गलती हो गई थी:"उसी प्रकार अपनी पूरी नमाज़ में करो" |⁹⁵

अंतिम तशह्हुद :

अंतिम तशह्हुद नमाज़ के स्तंभ में से है,इसका सबूत इब्ने मसउद रजीअल्लाहु अंहु की यह हडीस है,वह फरमाते हैं:हम लोग नमाज़ में तशह्हुद के फर्ज़(अनिवार्य)किए जाने से पूर्व السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل शांति हो अल्लाह पर,शांति हो जिब्रील और मीकाईल पर"कहा करते थे,तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:तुम लोग इस प्रकार न कहो,क्योंकि अल्लाह स्वयं शांति है,बल्कि इस पकार

⁹⁴ इसे अहमद(23997),अबूदाउद(730),तिरमिजी(304)और इब्ने माजा(862)ने रिवायत किया है।

⁹⁵ इस हडीस का संदर्भ बीत चुका है।

कहोः «...التحيات لله |⁹⁶तथा इसका प्रमाण यह भी है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवेद इस कार्य का स्वयं पालन किया और कभी इसको छोड़ा नहीं, और आपका कथन है: "जिस प्रकार तुम ने मुझे नमाज़ पढ़ते देखा है उसी प्रकार नमाज़ पढ़ा करो" |⁹⁷

➤ अंतिम तशह्हुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद(प्रामर्श)भेजना सुन्नते मोअक्कदा (नियमित सुन्नत) है, एक कथन यह भी है कि वाजिब(अनिवार्य)है।

इसकी अनिवार्यता एवं महत्ता पर निम्न की हडीसें साक्ष्य हैं:

—फोज़ाला बिन ओबैद रजीअल्लाहु अंहु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक व्यक्ति को नमाज़ में दुआ करते सुना, उसने न तो अल्लाह तआला की महानता बयान की और न ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद(प्रामर्श)भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "उस व्यक्ति ने जल्दबाज़ी से काम लिया", फिर उसे बोलाया और उससे फरमाया: "जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़े तो स्वप्रथम अपने रब की प्रसंशा करे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद(प्रामर्श)भेजे, उसके पश्चात जो चाहे दुआ मांगे" |⁹⁸

—कअब बिन उजरा रजीअल्लाहु अंहु फरमाते हैं कि: पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के पास आए तो हमने कहा: हे अल्लाह के संदेशवाहक! यह तो हमें ज्ञात है कि हम आपको सलाम किस प्रकार करें, किंतु आप पर दरूद(प्रामर्श)हम किस प्रकार भेजे? आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस प्रकार कहो:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ، اللَّهُمَّ بارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ»⁹⁹

⁹⁶ इस हडीस का संदर्भ बीत चुका है।

⁹⁷ इस हडीस का संदर्भ बीत चुका है।

⁹⁸ इसे अहमद(24434), अबूदासूद(1418) और तिरमिज़ी(3477)ने वर्णन किया है।

⁹⁹ इस हडीस का संदर्भ बीत चुका है।

हे अल्लाह! मोहम्मद(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा उतार, जैसा कि तूने इब्बाहीम के परिवार वालों पर कृपा उतारा, निसंदेह तू प्रसंशित एवं पवित्र है। हे अल्लाह! मोहम्मद पर और मोहम्मद के परिवार पर आशीर्वाद भेज जैसा कि तूने इब्बाहीम के परिवार वालों पर आशीर्वाद उतारा, निसंदेह तू प्रसंशित एवं पवित्र है॥” एक हड्डीस में यह शब्द आए हैं: ”**كما صلیت علیٰ إبراهیم وعلیٰ آل إبراهیم**“ |अर्थातःजिस प्रकार इब्बाहीम एवं इब्बाहीम के परिवार वालों पर कृपा नाजिल की।¹⁰⁰

कअब बिन उजरा रजीअल्लाहु अंहु की उपरोक्त हड्डीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूर(प्रामर्श)भेजने का रूप एवं प्रकार अंकित है।

- द्वितीय तशह्हुद के अंत में इस दुआ के माध्यम से अल्लाह की शरण मांगना सुन्नत है जो अबूहोरैरा रजीअल्लाहु अंहु की हड्डीस में आई है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: ”जब कोई व्यक्ति अंतिम तशह्हुद(तहिय्यात एवं दरूद)को पूरा करले तो चार चीज़ों से अल्लाह की शरण मांगेः नरक की यातना से, क़ब्र की यातना से, मृत्यु एवं जीवन के प्रकोप से, एवं मसीहे दज्जाल के प्रलोभन से“।¹⁰¹
- जब तशह्हुद पूरी करले एवं उपरोक्त चार चीज़ों से शरण मांगले तो नमाज़ी के लिए मस्नून(सुन्नत के अनुरूप)है कि अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे दुआ करे, जैसा कि इन्हे मसउद रजीअल्लाहु अंहु की हड्डीस है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब(अंतिम) तशह्हुद का उल्लेख किया तो कहा: ”इसके पश्चात नमाज़ी को अधिकार है कि जो चाहे दुआ करे“।¹⁰²

अतः सुन्नत है कि मनुष्य(अंतिम तशह्हुद के पश्चात) अपनी इच्छा से जो दुआ चाहे करे, किंतु हड्डीसों में आई दुआओं का विशेष रूप से पालन करना चाहिए।

¹⁰⁰ इसे बोखारी(3370)ने वर्णन किया है।

¹⁰¹ इसे बोखारी(1377) और मुस्लिम(588)ने वर्णन किया है।

¹⁰² इसे बोखारी(835) और मुस्लिम(402)ने वर्णन किया है।

तसलीमः

फिर सलाम फेरे,जो कि नमाज़ का स्तंभ है,अतःयह कहे:

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"

सलाम फेरने का मस्नून विधि यह है कि:पहले दाएं ओर सलाम करे,फिर बाएं ओर सलाम करे और(दानों ओर)इतना घूमे कि गाल की सपेदी प्रकट हो,इसका प्रमाण इब्ने मसउद रज़ीअल्लाहु अंहु की हडीस है,वह फरमाते हैं कि:आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं ओर बाएं ओर सलाम फेरा,यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल की सपेदी दिखने लगी,आपने फरमाया:"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"।¹⁰³

- सलाम फैरने का मस्नून विधि यह है कि:न खींच कर सलाम पढ़े,न इसे लंबा करे,और ↳ को जज़म(विराम)दे,इसका प्रमाण पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्णित यह हडीस है,आपने फरमाया:«سُلَامٌ حَذْفٌ»सुन्नत है।¹⁰⁴ इमाम अहमद¹⁰⁵और इमाम इब्ने अलमोबारक¹⁰⁶ने इसका व्याख्या यह बयान किया है कि सलाम को अधिक न खींचे।
- अंतिम तशह्हुद में बैठने का मस्नून विधि यह है कि तवरुक करे,तवरुक यह है कि:दायां पैर खड़ा रखे,अपने कूल्हे के बल भूमि पर बैठ जाए और बायां पैर(जांघ के नीचे से)विपरीत ओर बढ़ादे।तीन रकअत अथवा चार रकअत वाली नमाज़ में अंतिम तशह्हुद के समय इस प्रकार बैठना मशरू(इस्लामी दृष्टिकोण से

¹⁰³ इसे अबूदाउद(996),निसाई(1142),इब्ने माजा(914)और अहमद(3699)ने वर्णन किया है और इसकी सनद(वर्णनकर्ताओं की शृंखला)सही है।

¹⁰⁴ इसे अबूदाउद(1004),तिरमिज़ी(297),निसाई(1142)और अहमद(10885)ने अबूहोरैरा रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णन किया है।

¹⁰⁵देखें:अलशरहोअलकबीर:(593 / 1),कशाफुलकेना:(362 / 1)

¹⁰⁶ देखें:सोनन अत्तिरमिज़ी(386 / 1),किशाफुल केना:362(1)

उत्तम)है,समान शब्दों में कह सकते हैं कि:दो तशह्हुद वाली नमाज़ में तर्वुक करना मशरू है।

संतुष्टि एवं विनम्रता व विनयशीलता

- संतुष्टि नमाज़ का एक स्तंभ है,इसका मतलब यह है कि:(समर्त स्तंभों एवं अनिवार्यातोओं को)एतने संतुष्टि से करे कि अनिवार्य ज़िर्क एवं दुआ पढ़ी जा सके।यह वाजिब(अनिवार्य)को पूरा करने का निम्नतम मात्रा है।
- संतुष्टि की अनिवार्यता का प्रमाण यह है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा जिनसे नमाज़ में गलती हो गई थी कि:"फिर रुकू करो यहाँ तक कि रुकू की अवस्था में बराबर हो जाओ"।नमाज़ के शेष स्तंभ भी उसी प्रकार पूरा करने की शिक्षा दी।होजैफा रज़ीअल्लाहु अंहु की हडीस में आया है कि उन्होंने एक व्यक्ति का असंतुष्टि से नमाज़ पढ़ते देखा(न वह रुकू पूरे से कर रहा था न सजदा)।इस लिए आपने उससे कहा कि:"तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी और यदि तुम मर गए तो तुम्हारी मृत्यु उस सुन्नत पर होगी जिस पर अल्लाह तआला ने मोअम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया था"।¹⁰⁷
- नमाज़ में विनम्रता विनयशीलता बनाए रखना मस्नून व मुस्तहब(जिस कार्य के करने से पुण्य और न करने से पाप न हो)है,इमाम इब्नुल क़ययम रहिमहुल्लाहु ने खोशू(विनयशीलता)की परिभाषा करते हुए फरमाया:"खोशू यह है कि:रब तआला के समक्ष विनम्रता व दीनता एवं ध्यान पूर्वक क़्याम किया जाए"।¹⁰⁸
- पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवं वरिष्ठ सहाबा से तवातुर(नित्य)के साथ सिद्ध है कि वह विनम्रता एवं विनयशीलता का अत्यंत पालन करते थे,इसी लिए आयशा रज़ीअल्लाहु अंहा वर्णन करती हैं कि:"आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

¹⁰⁷ सही बोखारी(791)

¹⁰⁸ इसका संदर्भ बीत चुका है

चार रकअृत पढ़ते, वे रकअृतें कितनी लंबी होती थीं, उसमें कितने गुण एवं विशेषताएं हाती थीं इसके प्रति पूछो ही मत" |¹⁰⁹

➤ नियमित रूप से अधिक हरकत करने से नमाज़ निरस्त हो जाती है।

कुछ फोकहा(धर्म शास्त्रियों)के निकट अधिक हरकत का नियम यह है कि:जब उस व्यक्ति को देखे तो वह समझे कि वह व्यक्ति नमाज़ में नहीं है।

¹⁰⁹ इसे बोखारी(1147) और मुस्लिम(737)ने वर्णन किया है।

नमाजी के सामने सुत्राः

- सुत्रा(वह लाठी अथवा छड़ी जो नमाजी नमाज पढ़ते समय अपने सामने रखता है)रखना सुन्नते मोअक्केदा(वह सुन्नत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियमित रूप से किया हो)है,इसका प्रमाण पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हडीस है:"जब तुम में से कोई व्यक्ति नमाज पढ़े तो किसी सुत्रे की ओर मुँह करके पढ़े,और उससे निकट रहे" |¹¹⁰
- सुत्रा ऐसा होना चाहिए कि भूमि पर स्थिर एवं खड़ा हो,न कि भूमि पर पड़ा और गिरा हो।
- सुत्रा की मात्रा यह है कि कजावा(चूंट की काठी)की पिछली लकड़ी जैसा हो,इसका प्रमाण सही मुस्लिम में वर्णित आयशा रजीअल्लाहु अंहा की यह हडीस है कि ग़ज़्वाए तबूक में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुत्रा(के प्रकार के) प्रति प्रश्न किया गिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:"كَآخِرَةُ الرَّحْلِ" "अर्थातः" कजावे की पिछली लकड़ी जैसी होनी चाहिए" |सही मस्लिम में "كَمُؤْخَرَةُ الرَّحْلِ"का शब्द भी आया है |¹¹¹(इसका मतलब भी यही है:कजावे की पिछली लकड़ी) |यह एक बांह के बराबर होता है,ज्ञात हुआ कि सुत्रा की लंबाई एक बांह अथवा उसके लगभग है।

अतःसुत्रा को चौड़ाई के विषय में फोकहा(धर्म शास्त्रियों)का कहना है कि:इसका कोई सीमा नहीं है,इस लिए वैध है कि सुत्रा की मात्रा तीर के समान हो,इसी प्रकार दीवार को सुत्रा बनाना भी मान्य है,क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्ध है कि आप ने बरछा को सुत्रा बनाया,¹¹²चूंट¹¹³ और दीवार¹¹⁴की ओर मुँह करके नमाज पढ़ी।

¹¹⁰ इसे अबूदाउद(698)ने वर्णन किया है और इस हडीस का मूलपत्र सहीहैन में है।

¹¹¹ सही मुस्लिम(500)

¹¹² इसे बोखारी(494)और मुस्लिम(501)ने इन्हे उमर रजीअल्लाहु अंहुमा से वर्णन किया है।

¹¹³ इसे बोखारी(430)ने इन्हे उमर रजीअल्लाहु अंहुमा से वर्णन किया है

¹¹⁴ इसे बोखारी(496)और मुस्लिम(508)ने सहल बिन साद रजीअल्लाहु अंहु और अबूदाउद(708)ने अबुल्लाह बिन अर्म रजीअल्लाहु अंहु से वर्णन किया है।

- नमाज़ी के समक्ष से गुजरना हराम(अवैध)है,इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है:"यदि नमाज़ी के सामने से गुजरन वाला यह जान ले कि उस पर कितना(पाप)है,तो उसको नमाज़ी के सामने गुजरने से चालीस(दिन अथवा महीने अथवा वर्ष तक)वहीं खड़ा रहना अच्छा लगता ।¹¹⁵दूसरी रिवायत(वर्णन)में है:"यदि नमाज़ी के सामने से गुजरने वाला जानता कि इसका कितना बड़ा पाप है...." ।¹¹⁶
- यदि कोई व्यक्ति नमाज़ी के आगे से गुजरना चाहे तो नमाज़ी को अधिकार है कि उसे रोके,इसमें फकीहों(धर्म शास्त्रियों)के बीच कोई मतभेद नहीं है,इसका सबूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है,जिसके वर्णनकर्ता अबूसईद रज़ीअल्लाहु अंहु हैं:जब कोई व्यक्ति नमाज़ किसी चीज़ की ओर मुँह करके पढ़े और उस चीज़ को आड़(सुत्रा)बना रहा हो फिर भी यदि कोई सामने से गुजरे तो उसे रोक देना चाहिए।यदि अब भी वह जिद करे तो उससे लड़ना चाहिए।क्योंकि वह शैतान है" ।¹¹⁷

यह हदीस इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि(नमाज़ी के सामने से)गुजरने वाले को रोकना सुन्नत है।

इमाम नौवी¹¹⁸और¹¹⁹आदि ने अबू सईद रज़ीअल्लाहु अंहु की यह हदीस से यह लाभ निकाला है कि गुजरने वाले को रोकना और उससे लड़ना उस व्यक्ति के लिए जाएज़(वैध)है जो अपने सामने सुत्रा रखे और सतर्कता से काम ले,अतःवह व्यक्ति जो न सुत्रा रखे और न सतर्कता अपनाए,उसके लिए यह जाएज़(मान्य)नहीं कि गुजरने वाले से लड़े अथवा बलपूर्वक उसे रोके।

यह आदेश उन्हों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कथन से लिया है जो आपने हदीस के हदीस के आरंभ मे फरमाया:"जब कोई व्यक्ति नमाज़ किसी वस्तु की ओर मुँह करके पढ़े और उस वस्तु को आड़(सुत्रा)बना रहा हो",उस हदीस में

¹¹⁵ इसे बोखारी(501)और मुस्लिम(507)ने अबू जीम रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णन किया है।

¹¹⁶अलइमाम बे अहादीसिल अहङ्काम:65

¹¹⁷ इसे बोखारी(509)और मुस्लिम(505)ने वर्णन किया है।

¹¹⁸ देखें:अलमजम:(249 / 3)

¹¹⁹ शौकानी नैलुलआौतार:(7 / 3)

शब्द(ज़ि)शर्त के लिए आया है, मानो आपने उसी व्यक्ति को लड़ने की अनुमति दी है जो अपनी नमाज़ में सतर्कता अपनाए और ऐसा सुत्रा अपने सामने रखे जो लोगों को उसके और उसके नमाज़ पढ़ने की स्थान के बीच से गुजरने से रोके।

नौवी और शौकानी का कथन अत्यंत उपयुक्त एवं हडीस के शब्द के बिल्कुल अनुरूप है, तथा यह कि जो व्यक्ति नमाज़ के बीच अपने सामने सुत्रा न रखे वह (नमाज़ के प्रति) आलसी माना जाएगा, इस लिए यह अनुचित है कि (सुत्रा रखने में) आलस्य भी करे, और अपने सामने से गुजरने वाले लोगों से लड़े भी।

➤ यदि नमाज़ी अपने सामने सुत्रा रख कर नमाज़ पढ़े तो जो व्यक्ति उससे दूर हो उसके लिए उसके सामने से गुजरना जाएज़ है, अतः जो निकट हो, उसके लिए यह जाएज़ नहीं।

निकट का सीमा उसके सजदा करने के स्थान है, और उसके पश्चात् (जो भी दूरी हो) वह दूर के अंतर्गत है, अर्थात् नमाज़ी के खड़े होने का स्थान एवं उसके सजदा करने के स्थान के बीच से गुजरना जाएज़ नहीं।

➤ नमाज़ों के सामने से गुजरना यद्यपो हराम (अवैध) है, किंतु उससे नमाज़ नहीं टुटती, हाँ यह कि गुजरने वाली कोई महिला हो, अथवा काला कुत्ता हो, अथवा गदहा हो, इसका प्रमाण आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हडीस है: "जब तुम में से एक व्यक्ति खड़ा नमाज़ पढ़ रहा हो तो यदि उसके सामने पालान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई वस्तु हो तो वह सुत्रा बन जाता है, और यदि उसके सामने पालान की पिछली लकड़ी के समान कोई वस्तु ने हो तो महिला, गदहा और काला कुत्ता उसकी नमाज़ तोड़ देते हैं"। एक व्यक्ति ने अबूज़र रज़ीअल्लाहु अंहु—जो कि हडीस के वर्णनकर्ता हैं—से कहा: काले, पोले एवं लाल में किया अंतर है? तो अबूज़र ने फरमाया: मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स पूछा तो आपने फरमाया: "काला कुत्ता शैतान है"।¹²⁰

¹²⁰ इसे मस्लिम (510) ने अबूज़र रज़ीअल्लाहु अंहु से वर्णन किया है।

स्त्री की नमाज़:

- उपरोक्त समस्त अज़्कार(स्मरणों)कुरान का सस्वर पाठ,नमाज़ के विधि एवं तरीकों में महिला पुरूष ही के जैसा करगी,पूर्व की समस्त सुन्नतें,वाजिबात(अनिवार्यताएं)एवं स्तंभों में स्त्री पुरूष के समान एवं बराबर है,क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हडीस है:"महिलाएं भी(धार्मिक आदेशों में) पुरूष ही के जैसी हैं" |¹²¹
- इससे केवल एक चीज अपवाद है,वह है शरीर के अंगों के बीच अंतर व विस्तीर्णता रखना:

अतःमहिला के लिए मस्नून विधि यह है कि अपने शरीर के अंगों को समेट कर रखे,अर्थात् वह प्रत्येक स्थान जिसमें पुरूष अपने अंगों के बीच अंतर व विस्तीर्णता रखता है,महिला अपने अंगों को समेट के रखे,अतःजिस स्थान पर हम पुरुष को कहते हैं कि:सुन्नत यह है कि शरीर के अंगों के बीच अंतर रखा जाए,उस स्थान पर स्त्री के लिए सुन्नत यह है कि:अपने अंगों के बीच अंतर न रखे,बल्कि उन्हें समेट कर रखे।

इन्हे रजब फरमाते हैं:"स्त्री(अपने अंगों के बीच)अंतर व विस्तीर्णता नहीं रखेगी,विद्धान इसके पक्ष में हैं" |¹²²

¹²¹ इसे अबूदासूद(236)और तिरमिज़ी(113)ने वर्णन किया है।

¹²²इन्हे रजब की फतहुलबारी:(246 / 7)